### कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :- ५०७

राँची, दिनांक :-02/5/2024

सेवा में,

प्रधान सचिव,

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय:

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग—NH-23 & 320B भारतमाला परियोजना (जैनामोड़—गोला—ओरमांझी खण्ड) निर्माण हेतु कुल 99.7862 हे0 (बोकारो वन प्रमंडल अंतर्गत 66.5436 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत हेतु 28.9869 हे0 एवं राँची वन प्रमंडल अंतर्गत 4.2557 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :

वन विभागीय पत्रांक 812 दिनांक 07.03.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर कुल दो बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है।

विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 587 दिनांक 04.04.2024 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 702 दिनांक 24.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् है:—

क्र0सं0	पृच्छाऐ		निराकरण
1	कार्यानुमित दिए जाने के पूर्व भा द्वारा निर्गत दिशा—िनदे कंडिका—11(1) के आलोक में दिए जाने का प्रस्ताव एव अभिकरण से प्राप्त वचनबद्धता।	श की कार्यानुमति	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 587 दिनांक 04.04.2024 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 702 दिनांक 24.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.12.2023 को निर्गत को दिशा—निर्देश की कंडिका —11 (1) के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वचनबद्धता उपलब्ध कराया गया है। साथ ही विषयक परियोजना हेतु कार्यानुमति प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा किया गया है।
2	स्टेज—I की शर्तो का पूर्ण प्रतिवेदन।	अनुपालन	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रांची का पत्रांक FP/JH/Road/146250/2021/1177 दिनांक 13.062023 द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 99.7862 है0 वनभूमि अपयोजन हेतु कुल 24 शर्तो पर स्टेज—1 की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
			शर्तो का आंशिक अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 157 दिनांक 19.02.2024 द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया है। जिसमें शर्त संठ A-11 एवं B-6 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण से अपेक्षित था शर्त संठ A-11 "The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)." प्रयोक्ता अभिकरण द्वार

E-\\/ikach\kaimuddin Sir\บสกบสก บาจสมาสา บโจขโสสา ओरमादी गोला तैनामोद aa ७४६० हे० docv

The compliance report को e-portal (https://parivesh.nic.in/) अपलोड कर दिया गया है। जिसे इस स्तर से भी website पर अपलोड किया जा रहा है।

शर्त सं0 B-6 (पिलरिंग कार्य) का अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता दी गयी है। जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

इस प्रकार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रदत स्टेज—I में लगाई गयी सभी शर्तो का अनुपालन किया गया है अथवा बचनबद्धता दी गयी है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न करते हुऐ अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर कुल 99.7862 है0 वनभूमि अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति एवं एक वर्ष के लिए कार्यानुमित प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।


संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

2.5.24

### कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।



पत्रांक :- 157

राँची, दिनांक :- 19 . 2 . 24

सेवा में,

प्रधान सचिव,

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय:

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग—NH-23 & 320B भारतमाला परियोजना (जैनामोड़—गोला—ओरमांझी खण्ड) निर्माण हेतु कुल 99.7862 हे0 (बोकारो वन प्रमंडल अंतर्गत 66.5436 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत हेतु 28.9869 हे0 एवं राँची वन प्रमंडल अंतर्गत 4.2557 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,

रांची का पत्रांक FP/JH/Road/146250/2021/1177 दिनांक 13.06..2023

महाशय,

Department.

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रांची का पत्रांक FP/JH/Road/146250/2021/1177 दिनांक 13.06..2023 द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 99.7862 है0 वनभूमि अपयोजन हेतु कुल 24 शर्तों पर स्टेज—। की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज—। में लगाई गयी शर्ती का आंशिक अनुपालन प्रतिवेदन एवं कार्यानुमित हेतु प्रस्ताव क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारों के पत्रांक 15 दिनांक 06.01.2024 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 1925 दिनांक 01.12.2023 एवं पत्रांक 239 दिनांक 13.02.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के प्रतिवेदनानुसार शर्तों के समेकित अनुपालन निम्नवत् है :--

क्र0 शर्ते अनुपालन सं0 A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest

The cost of compensatory afforestation on the CA land (201.885 ha) at the prevailing rates as compensatory afforestation scheme (including the cost of demarcation erection of permanent pillars etc. as required for securing land encroachment) including that required for patch plantation shall be deposited in advance State Forest

The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

Department by the project

authority. The CA will be

maintained for 10 years.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CA मद में जमा की गयी राशि की विवरणी प्रमंडलवार निम्नवत है:—

क्र0सं0	वन प्रमंडल का नाम	CA मद में जमा की गयी राशि
1	बोकारो	18,93,19,658.00
2	राँची	58,69,382.00
3	रामगढ़	61,25,700.00
	कुल :-	20,13,14,740.00

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल 20,13,14,740.00 (बीस करोड़ तेरह लाख चौदह हजार सात सौ चालीस रू०) मात्र कैम्प्पा खाता सं० 1507261146250122 में Union Bank of India, FCS Centre 21/1. Third Floor Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru 560027, में RTGS ref No. CNRBR52023100564892301 के माध्यम से जमा कर दी गयी है। (Challan application no. 61146250122 date 30.09.2023 है। CA Levies Format संलग्न अनु0— बोकारो—02 राँची—02. रामगढ—02

1082

(2)

The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 99. 7862 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 28/03/2008, 01/08/2003, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5dated 1/1998-FC (Pt.II) 18/09/2003, as well as letter 5-2/2006-FC dated 5-3/2007-FC 03/10/2006, dated 05/02/2009 and letter No.5-3/2011-FC(Vol-I)

dated 6/1/2022 in this regard. As recommended by the (3) Empowered Regional Wildlife a Committee, Management Plan and Soil & Moisture Conservation Plan should be prepared by DFO and concerned approved by the PCCF (Wildlife) & Chief Wildlife Jharkhand Warden, implementing them at project cost. The duly approved plan should be submitted in IRO, MOEF&CC, Ranchi before issuance of Final approval.

The Committee suggested that the patches left-over in between existing and proposed road, at certain locations, should also be taken up for plantation by SFD at project cost. This cost should also be included in CA levies.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV मद में जमा की गयी राशि की विवरणी प्रमंडलवार निम्नवत् है:-

क्र0सं0	वन प्रमंडल का नाम	NPV मद में जमा की गयी राशि
1	बोकारो	8,17,54,802.00
2	राँची	40,76,024.00
3	रामगढ	3,56,13,016.00
3	कुल :-	12,14,43,842.00

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल 12,14,43,842.00 (बारह करोड़ चौदह लाख तेतालीस हजार आठ सौ बेयालीस रू०) मात्र कैम्पा खाता सं0 1507261146250122 में Union Bank of India, FCS Centre 21/1. Third Floor Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru 560027, में RTGS ref No. CNRBR52023100564892301 के माध्यम से जमा कर दी गयी है। (Challan application no. 61146250122 date 30.09.2023 है। CA Levies Format संलग्न अनु0— बोकारो—02 राँची—02. रामगढ—02

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा WMP एवं SMCP मद में जमा की गयी राशि की विवरणी प्रमंडलवार निम्नवत् है:-

ō	हुल ≔	7,28,59,344.28	3,00,29,335.13	10,28,88,679.41 or 10,28,88,679
3	रामगढ़	1,63,37,002.24	1,58,98,749.87	
2 ·	राँची	44,00,277.04	11,00,069.26	3,22,35,752.00
1	बोकारो	5,21,22,065.00	1,30,30516.00	55,00,346.00
क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	WMP मद म (2%)	SMCP मद में (0.5%)	कुल :- 6,51,52,581.00

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल 10,28,88,679.00 (दस करोड़ अठाईस लाख अठासी हजार छ: सौ उनासी रू०) मात्र कैम्प्पा खाता सं0 1507261146250122 में Union Bank of India, FCS Centre 21/1. Third Floor Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru 560027, में RTGS ref No. CNRBR52023100564892301 के माध्यम से जमा कर दी गयी है। (Challan application no. 61146250122 date 30.09.2023 है। CA Levies Format संलग्न अनु0— बोकारो—02 राँची—02. रामगढ—02

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा patch CA मद में जमा की गयी राशि की विवरणी प्रमंडलवार निम्नवत् है:-

क्र0सं0	वन प्रमंडल का नाम	patch CA मद में जमा की गयी राशि
1	बोकारो	0.00
2	राँची	69,92,821.00
3	रामगढ	1,90,22,600.00
कुल :-		2,60,15,421.00

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल 2,60,15,421.00 (दो करोड़ साठ लाख पन्द्रह हजार चार सौ ऐकीस रू०) मात्र कैम्पा खाता सं० 1507261146250122 एवं A/c No. 1507261146250842 एवं में Union Bank of India, FCS Centre 21/1. Third Floor Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru 560027, में RTGS ref No. CNRBR52023100564892301 एवं CNRBR52024013072705940 के माध्यम से जमा कर दी गयी है। (Challan application no. 61146250122 date 30.09.2023 एवं 61146250842 date 27.01.2024 है। CA Levies Format संलग्न अनु0— बोकारो—02 राँची—02 रामगढ—02

- केरलाजी जोजा चैजामोट 99 7862 हे0.docx

		. (,08
(5	the user agency under the project shall be transferred /	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भिन्न—भिन्न मदों में जमा की गयी राशि की विवरणी प्रमाहन्तवार निम्नवत् है:—
	deposited to CAMPA fund only through e-portal	प्रमंडल में (2%) (0.5%)
	(https://parivesh.nicin/).	का नाम
	II II	रोची 40,75,024.00 58,69,382.00 69,92,821.00 44,00,277.04 11,00,069.26
		सामार 3,56,13,016.00 61,25,700.00 1,90,22,600.00 1,63,37,002.24 1,56,98,749.87 चुल:— 12,14,43,842.00 20,13,14,740.00 2,60,15,421.00 7,28,59,344.28 3,00,29,335.13 45,16,62,682.41
	5	3,00,29,333.13 or 45,16,62,682.00
		प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस परियोजना हेतु कुल 45,16,62,682.00 (पैतालिस
		करोड़ सोलह लाख बासठ हजार छः सौ बेरासी रू०) मात्र कैम्पा
		खाता सं0 1507261146250122 एवं A/c No. 1507261146250842 एवं में
		Union Bank of India, FCS Centre 21/1. Third Floor Jelitta Towers, Mission Road,
		Bengaluru 560027, में RTGS ref No. CNRBR52023100564892301 एवं
		CNRBR52024013072705940 के माध्यम से जमा कर दी गयी है।
		(Challan application no. 61146250122 date 30.09.2023 एवं 61146250842 date
		27 01 2024 2 1 CA Touris Format Tierra 27 02 2023 (9 61146250842 date
	22	27.01.2024 है। CA Levies Format संलग्न अनु0— बोकारो—02 राँची—02.
(6)	The User Agency should	
Alemana	formulate implement Soil	वचनबद्धता समर्गित किया गण है।
	Moisture Conservation	वयावस्ता समापता किया गया ह।
	work around the proposed	अनु0— बोकारो–04 राँची–04 रामगढ़–04
	road so that small streams are disturbed due to the	
	construction of the	
	highway.	
(7)	A Muck-Disposal Plan	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो एवं राँची द्वारा सूचित किया गया है कि
	should be prepared by User	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया गया है।
	Agency to ensure that the muck/wastage generated	अनु0- बोकारो-05 राँची-06 रामगढ़-05 & 06
2.	should be disposed of in	, जिन्दा वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग
\$	proper manner. Such plan,	
	duly approved by the	
	concerned DFO, should be submitted to this office	
	before soliciting Working	
	Permission.	
(8)	The FRA certificate as per	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो एवं राँची द्वारा सूचित किया गया है कि
	Ministry's guidelines shall	FRA 2006 के तहत् उपायुक्त, राँची के पत्रांक 391 (i) दिनांक 10.09.2022
	be submitted before the issuance of final approval.	द्वारा 4.2557 हैं। हेतु, के लिए उपायुक्त रामगढ़ के पत्रांक 164 दिनांक
	The complete compliance	07.02.2023 टाज 24.0444 है। हेन महं प्रांत के पत्रांक 164 दिनाक
	of the FRA, 2006 shall be	07.02.2023 द्वारा 21.0144 हे0 हेतु एवं पत्रांक 320 दिनांक 25.03.2023
	ensured by way of	द्वारा 7.9725 है0 एवं उपायुक्त बोकारो के पत्रांक 296 दिनांक 24.02.2023
	prescribed certificate from the concerned District	द्वारा 66.5436 हे0 हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त है साथ ही इस क्रम में
	the concerned District Collector including Gram-	आमसभा / ग्रामसभा की बैठक की कार्रवाई की प्रति संलग्न है।
	Sabha proceedings.	अनु0— बोकारो—06 राँची—07 रामगढ़—07
(9)	The KML files of the forest	
154,8450	area to be diverted and the	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो एवं राँची द्वारा सूचित किया गया है कि
	CA area shall be uploaded	रामगढ़ एवं बोकारो वन प्रमंडल हेतु KML Files अपलोड किया गया है।
	on the e-Green watch portal	राँची वन प्रमंडल हेतु राँची वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्टेज—।। प्राप्ति के
	with all requisite details and submitting compliance	उपरांत KML Files अपलोड किये जाने की सूचना दी गयी है।
	report for seeking Stage-II	
	approval.	
(10)		प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इसके अनुपालन हेतु उनके द्वारा
	J.t	वचनबद्धता समर्पित किया गया है। अनु0- बोकारो-07 राँची-08
	violation of Forest	रामगढ़-08
	(Conservation) Act, 1980 and action would be taken as	11-1-1-06
	prescribed in para 1.21 of	
	Chapter 1 of the Handbook	Annual Care 2
	of Comprehensive Guidelines	



1				
19 M	f Forest (Conservation) Act, 980 as issued by this Ministry's letter No.5- /2017-FC dated 28.03.2019.	० नाम शनाम	लन प्रतिवेदन e-portal ( <u>https:/</u>	//parivesh.
(11) T be (1	https://parivesh.nic.in/).	nic.in/) पर Upload नहीं किया प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित भेज दिया जायगा।	िगया है। इस हतु क्षेत्राय पराज िक्या जा रहा है। प्राप्त होने प	र अलग से
the Sta	ite Forest Department but th	he compliance in form of under	ing over of forest land to the User rtaking shall be submitted prior	
(1) I	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शत वचनबद्धता समर्पित किया ग रामगढ़—09	र्त मान्य है इसके अनुपालन हेतु या है। <b>अनु0—बोकारो—08</b>	उनके द्वारा <b>राँची</b> —09
	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 201.89 ha. degraded forest land (Sites- Mauza - Lawalong, Thana Gomia/39, Plot No. 254, 1, 18, 343 (Area - 50.50 ha), Mauza - Gomikarmatand, Thana - Gomia/103, Plot No. 467, 126, 240 (Area - 20.13 ha), Mauza - Dania, Thana - Gomia/32, Plot No. 560, 561 (Area - 20.87 ha), Mauza - Kurknalo, Thana - Gomia/94, Plot No. 728, 1236 (Area - 29.32 ha) and Mauza - Khakhand, Thana Gomia/38, Plot No. 414, 418 (Area - 13.20 ha)unde Bokaro Forest Division Mauza - Darid, Thana Peterwar/65, Plot No. 65 (Area - 7.18 ha), Mauza Dantu, Thana - Kasmar/ 64 Plot No. 1458 (Area - 2.6 ha), Mauza - Sonhar, Thana Kasmar/63, Plot No. 27 252, 480, 497, 340 (Area - 70 ha), Mauza - Sonpur Thana - Kasmar/62, Plot No. 27 252, 480, 497, 340 (Area - 7.6 ha), Mauza - Kajrum, Thana Kasmar/68, Plot No. 27 252, 480, 497, 340 (Area - 7.6 ha), Mauza - Kajrum, Thana Peterwar/68, Plot No. 26 (Area - 5.25 ha), Mauza Haslata, Thana - Kasmar /67 Plot No. 388 (Area - 6.70 h Mauza - Takaha, Thana Peterwar/27, Plot No. 2	प्रमंडलवार निम्नवत् है:—    क्र0सं0   वन प्रमंडल का नाम     1   बोकारो     2   राँची     3   रामगढ़     कुल :—    प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल :—    प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल :—   प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल :—   प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल :—   प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल :—   प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल :—   प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल :—   प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल :—   प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल :—   प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल :—   प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल :—   क	on Bank of India, FCS Centre 21/1 ad, Bengaluru 560027, में RT 1 के माध्यम से जमा कर 5250122 date 30.09.2023 है। CA Lo	तेरह लाख खाता सं0 1. Third Floor GS ref No. दी गयी है। evies Format द्वारा यह भी submitted an

אם חח דפבי אח אחרצ

(Area 4.27 ha) & Mauza -Banda, Thana - Gola/9, Plot No. 1967, 1984, 210 (Area -15.95 ha) under Ramgarh Forest Division and Mauza -Balu, Thana - Ranchi/ 29, Plot No. 25 (Area - 9.55 ha) Ranchi

Division) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local

under

Forest

	native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	
(3)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	वचनबद्धता समर्पित किया गया है। अनु0— बोकारो—10 राँची—11 रामगढ—11
(4)	The trees having diameter less than 7 inches shall be translocated as per the set standards of the High-Powered Committee constituted in the state of Jharkhand, that governs the tree felling.	वचनबद्धता समर्पित किया गया है। अनु0— बोकारो—11 राँची—12 रामगढ—12
(5)	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision and direction of the State Forest Department;	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इसके अनुपालन हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है। अनु0— बोकारो—12 राँची—13 रामगढ़—13
	the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department	
(6)	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस शर्त का अनुपालन नहीं किया गया है। परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता समर्पित किया गया है। इस हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा। अनु0- बोकारो-13 राँची-14 रामगढ-04
(7)	The user agency shall provide suitable under passes for animal movement in Forest Area/ Road stretch as per recommendations of concerned DFO.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इसके अनुपालन हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है। अनु0— बोकारो—14 राँची—15 रामगढ़—15
(8)	The NHAI shall provide unrestricted access to Forest Department vehicles for managing forests wildlife during project operation phase.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इसके अनुपालन हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है। <b>अनु0— बोकारो—15 राँची—16</b> रामगढ़—16
(9)	TO COMPANY SERVICE	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इसके अनुपालन हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है। अनु0— बोकारो—16 राँची—17 रामगढ़—17
(10)	without prior approval of	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इसके अनुपालन हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है। अनु0— बोकारो—17 राँची—18 रामगढ़—18



(11) (a)	No labour camp shall be established on the forest land.	
(b)	pressure on the nearby forest areas.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इसके अनुपालन हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है। अनु0— बोकारो—18 राँची—19 रामगढ़—19
(c)	shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.	
(12) (a)	this approval shall be co- terminus with the period of the project life.	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है इसके अनुपालन हेतु उनके द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है। अनु0— बोकारो—19 राँची—20
(b)	used for any purpose other than that specified in the project proposal.	रामगढ़—20
(c)	be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(13	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest wildlife.	वचनबद्धता समर्पित किया गया है। अनु0— बाकारा—20 राया 21 रामगढ़—21 f

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज—I में लगाई गयी शर्तो का आंशिक अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया है अथवा वचनबद्धता दी गयी है। साथ ही CA Levies Format भरते हुये कार्यानुमित की मांग की गयी है। इस हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गयी है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची से प्राप्त स्टेज—। का आंशिक अनुपालन प्रतिवेदन एवं कार्यानुमित हेतु प्रस्ताव की तीन—तीन प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु एवं वर्ष के लिए कार्यानुमित प्रदान करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाइ करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। अनु0-यथोक्त।

अनुपालन प्रतिवेदन तीन-तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

ह0 / – प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक . 15 के प्रतिलिप :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो / राँची / परियोजना निदेशक, NHAI, अशोक नगर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि शर्त संठ A-11 एवं B-6 (पिलिरेंग कार्य) का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सहर्-कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।



### कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची। वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002

e-mail- rccfranchi@gmail.com, rccf-ranchi@gov.in Ph. (0651) 2481907



239 पत्रांक

दिनांक 13/02/2024

सेवा में.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बुंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

In principle (Stage-1) approval of Central Government under Forest Conservation) Act 1980 for diversion of 99.7862 ha. (Bokaro FD- 66.5436 24a Ramgarh FD- 28.9889 ha. & Ranchi FD- 4.2557 ha.) of forest land in as our of NHAI, PIU Dhanbad for construction of Road from Jaina More Gola (NH-23) & Gola to Ormanjhi (NH-320B) Section under Bharatmala Pariyojana in Bokaro, Ramgarh & Ranchi district of Jharkhand.

प्रसंगः-

State - Miles

भवदीय कार्यालय का पत्रांक 1226 दिनांक 13.12.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग— NH-23 & 320B भारतमाला परियोजना (जैनामोड़—गोला—ओरमांझी खण्ड) निर्माण हेतु कुल- 99.7862 हे0 (बोकारो वन प्रमंडल अंतर्गत-66.5436 हे0 रामगढ वन प्रमंडल अंतर्गत— 28.9869 हे0 एवं रॉची. वन प्रमंडल अंतर्गत—4.2557 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय रॉची के पत्र सं0 FP/JH/ROAD/146250/2021/1177 दिनांक 13.06.2023 द्वारा 24 शर्तों के साथ स्टेज—I की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्टेज—I की स्वीकृति में लगाई गई 24 शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, रॉची के पत्रांक 207 दिनांक 06.02.2024 द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है:-

A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

No.  The cost of compensatory afforestation on the CA land (201.885 ha.) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) including that required for patch plantation shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.  Tital ar yhuser, tital siaria 4.2557 the artiful and in the cost and against the cost of the cost of the provision on the CA land (201.885 ha.) at the prevailing wage rates as per and the provision of permanent pillars the cost of the provision of permanent pillars and against the cost of the plantation shall be deposited in advance with the State appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.  Tital ar yhuser, tital siaria 4.2557 the artiful and against the cost of the plantation and erection of permanent pillars artiful and against the cost of the plantation shall be deposited in advance with the State appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.  Tital ar yhuser, tital siaria 4.2557 the artiful and against the cost of the provision of the CA land (201.85) the cost of the provision of the CA land (201.85) the cost of the provision of the CA land (201.85) the cost of the provision of the CA land (201.85) the cost of the provision of the CA land (201.85) the cost of the provision of the CA land (201.85) the cost of the provision of the CA land (201.85) the cost of the provision of the CA land (201.85) the cost of the provision of the CA land (201.85) the cost of the provision of the CA land (201.85) the cost of the provision of the CA land (201.85) the cost of the provision of the CA land (201.85) the cost of the cost of the cost of the cost of the cost	Sl.	Query	Status
	No. 1	(201.885 ha.) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) including that required for patch plantation shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for	अपयोजन के विरूद्ध 9.55 है0 (Double Degraded Forest Land) वनभूमि क्षतिपूर्ति के रूप में वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित है। तदअनुरूप राँची वन प्रमण्डल, राँची अंतर्गत मौजा—बालू, थाना—राँची, थाना नं0—29 में कुल—9.55 है0 के क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन तैयार किया गया। (अनु0—1A) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु कुल—5869382.00 रूपये ऑनलाईन चालान जेनेरेट कर कैम्पा कोष में जमा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न



~	1 11 1 1 N. D	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV के रूप में कुल- 4076024.
2	The State Government shall charge the Net Present	00 रू० ऑनलाईन चालान जेनेरेट कर कैम्पा कोष में जमा
	Value (NPV) for the 99.7862 ha. forest area to be	किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है। (अनु0-2)
	diverted under this proposal from the User Agency	किया गया है। चालान का प्रांत संलग्न है। (जनुव 2)
	as per the order of the Hon'ble Supreme Court of	(0)
	India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008,	
	24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP	2 × 3
	(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued	
	by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II)	
	dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC	
	dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009	
	and letter No. 5-3/2011-FC (Vol-1) dated	
	06/01/2022 in this regard.	वन्य प्राणी प्रबन्धन योजना में प्रयोक्ता अभिकरण के
3	As recommended by the Regional Empowered	वन्य प्राणा प्रवस्थन याजना न प्रयापता जानगरन पर
	Committee, a Wildlife Management Plan and Soil	द्वारा कुल-5500346.00 रूपया जमा किया जा चुका है।
	& Moisture Conservation Plan should be prepared	इसमें वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के लिए परियोजना का
	by concerned DFO and approved by the PCCF	2 प्रतिशत राशि ४४००२७७.०४ मात्र एवं ०.५ प्रतिशत
	(wildlife) & Chief wildlife warden, Jharkhand for	राशि मृदा एवं जल संरक्षण हेतु रू० 1100069.26 मात्र
	implementation them at project cost. The duty	सिमालित है। चालान की प्रति संलग्न है। (अनु0–2)
	approved plan should be submitted in IRO,	सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित वन्यप्राणी प्रबंधन
	MoEF&CC and Ranchi before issuance of final	योजना एवं सभी समर्पित राशि में जो अंतर राशि होगी
	approval.	उसे जमा कराना प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी
		होगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता भी समर्पित
	*	की गई है। (अनु0-3)
	TI G in the state and the left over	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पैच वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल-
4	The Committee suggested that the patches left-over	6992821.00 रू० ऑनलाईन चालान जेनेरेट कर कैम्पा
	in between existing and proposed road at certain	6992821.00 रुप आनलाइन यालान जनस्ट पर पराना
	locations should also be taken up for plantation by	कोष में जमा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
151	SFD at project cost. This cost should also be	. (अनु0-5) .
	included in CA levies.	
5	All the funds received from the user agency under	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि ऑनलाईन चालान जनेरेट
	the Project shall be transferred/ deposited to	कर समर्पित किया गया है। (अनु0–2)
	CAMPA fund only through e-portal	
	(https://parivesh.nic.in/).	
6	The user Agency should formulate & implement	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता समर्पित किया गया
	Soil Moisture Conservation work around the	है। (अनु0—4)
	proposed road so that small streams are disturbed	
	due to the Construction of the Highway.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7	A-Muck-Disposal Plan should be prepared by User	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया गया है।
	Agency to ensure that the muck/ wastage generated	(अनु0-6)
	should be disposed of in proper manner. Such plan,	
	duly approved by the concerned DFO, should be	
	submitted to this office before soliciting Working	
	Permission.	
8	The FRA certification as per Ministry guidelines	उपायुक्त, राँची द्वारा निर्गत FRA NOC संलग्न है।
	shall be submitted before the issuance of final	(अनु0-7)
	approval. The complete compliance of the FRA,	
	2006 shall be ensured by way of prescribed	
	certificate from the concerned District Collector	, and an analysis of the second secon
	including Gram-Sabha proceedings.	ti .
		इस प्रमण्डल द्वारा स्टेज—II की स्वीकृति के उपरांत
9	The KML files of the forest area to be diverted and the	Sti All-ott ditt tool II 411 things
9	The KML files of the forest area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal	के0एम0एल0 फाईल अपलोड कर दिया जाएगा।
9	The KML files of the forest area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval.	के०एम०एल० फाईल अपलोड कर दिया जाएगा।

	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
10. Violation of any of these conditions will amount to Violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता समर्पित किया गया है। (अनु0-8)
11. The Compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

Sl. No.	Query	Status
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता समर्पित किया गया है। (अनु0–9)
	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 201.89 ha. degraded forest land (Sites- Mauza-Lawalong, Thana- Gomia/39, Plot No. 254, 1, 18, 343 (Area- 50.50 ha.), Mauza-Gomikarmatand, Thana- Gomia/103, Plot No. 467, 126, 240 (Area- 20.13 ha.), Mauza-Dania, Thana- Gomia/32, Plot No. 560, 561 (Area- 20.87 ha.), Mauza- Kurknalo, Thana-Gomia/94, Plot No. 728, 1236 (Area- 29.32 ha.) and Mauza-, Khakhand, Thana-Gomia/38, Plot No 414, 418 (Area- 13.20 ha.) under Bokaro Forest Division, Mauza-Darid, Thana- Peterwar/85, Plot No 654 (Area- 7.18 ha.), Mauza- Dantu, Thana-Kasmar/64, Plot No. 1458 (Area- 2.63 ha.) Mauza- Sonhar, Thana- Kasmar/63, Plot No 275, 252, 480, 497, 340 (Area- 8.70 ha.) Mauza-Sonpura, Thana-Kasmar/62, Plot No. 323, 324, 305 (Area- 7.64 ha.) Mauza- Kajrum, Thana- Peterwar/68, Plot No 209 (Area- 5.25 ha.), Mauza- Heslata, Thana- Kasmar/69, Plot No 388 (Area-6.70 ha.), Mauza- Takaha, Thana- Peterwar/27, Plot No 234 (Area- 4.97 ha.) & Mauza- Banda, Thana- Gola/9, Plot No. 1967, 1984, 210 (Area- 15.95 ha.) under Ramgarh Forest Division and Mauza- Balu, Thana- Ranchi/29, Plot No. 25 (Area- 9.55 ha.) under Ranchi Forest Division) at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species especially non-native species should be avoided.	तदअनुरूप राँची वन प्रमण्डल, राँची अंतर्गत मौजा—बालू, थाना—राँची, थाना नं0—29 में कुल—9. 55 हे0 प्राक्कलन तैयार किया गया। (अनु0—1A)



		6	
3 A	Additional amount of the NPV of the	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता समर्पित किया (	105
1	diverted forest land, if any, becoming	गया है। (अनु0-11)	1
	due after finalization of the same by the		
1	Hon'ble Supreme Court of India on		
1	receipt of the report from the Expert		
1	Committee, shall also be charged by the		
		0	
	Agency. The User Agency shall furnish	5	
	an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता समर्पित किया	
	The trees having diameter less than 7	गया है। (अनु0—12)	
	inches shall be translocated as per the set	191 61 (0130 12)	
	standards of the High-Powered	2	
	Committee constituted in the State of	=	
	Jharkhand that governs the tree felling.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता समर्पित किया	
5	User Agency shall restrict the felling of		
	trees to minimum number in the diverted	गया है। (अनु0—13)	
	forest land and the trees shall be felled		
	under the strict supervision and direction		
	of the State Forest Department, the cost		
10	of felling of trees shall be deposited by		
	the User Agency with the State Forest		
	Department.	X 0-	-
6	The boundary of the diverted forest land	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता समर्पित किया	
١	shall be suitably demarcated on ground	गया है। (अनु0—14)	
	at the project cost, as per the directions		
	of the concerned Divisional Forest		
	Officer.		-
7	The user agency shall provide suitable	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता समर्पित किया	
'	under passes for animal movement in	गया है। (अनु0-15)	
	Forest Area/ Road stretch as per		
	recommendations of concerned DFO.		
		- And Ann	-
8	The NHAI shall provide unrestricted	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता समर्पित किया	
U	access to Forest Department vehicles for	गया है। (अनु0—16)	
	Managing forests & wildlife during	2	
	project operation phase.	<u> </u>	_
9	The User Agency shall raise strip	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता समर्पित किया	
7	plantation on both sides of the road as	गया है। (अनु0-17)	
	per the IRC norms.		_
10	1 Cul aball not	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता समर्पित किया	
10	be changed without prior approval of	, ,	
	Ministry of Environment Forest &		
	Ministry of Environment Forest &		
	Climate Change.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता समर्पित किया	
11		गया है। (अनु0-19)	
	on the forest land.	गया है। (अनु0-19)	
	(b) The User Agency shall provide		
	alternate fuels preferably LPG to the		
	labourers and the staff working at the		
	site so as to avoid any damage and		
	pressure on the nearby forest areas.		



		1
	In	BB
1	ΛV	אים
3	۲.	/

X	(c) Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.	
12	(a) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता समर्पित किया गया है। (अनु0—20)
×	(b) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	
	(c) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	
13	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता समर्पित किया गया है। (अनु0—21)

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, रॉची द्वारा समर्पित पत्र की छायाप्रति एवं स्टेज—I की स्वीकृति में लगाई गई शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन की 05 (पॉच) प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु0:—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

क्षेत्रीय मुख्य पून संरक्षक,



#### कार्यालय — क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची। वन भवन, डोरण्डा, राँची— 834002

Officers of

e-mail- rccfranchi@gmail.com, rccf-ranchi@gov.in Ph. (0651) 2481907

## पत्रांक 587 दिनांक 04/04/2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय:-

In-principle (Stage-I) approval of central Government under Forest (Conservation) Act 1980 for diversion of 99.7862 ha. (Ranchi FD- 4.2557 ha.) of forest land in favour of NHAI, PIU Dhanbad for construction of Road from Jaina More to Gola (NH-23) & Gola to Ormanjhi (NH-320B) section under Bharatmala Pariyojna in Bokaro, Ramgarh & Ranchi district of Jharkhand. Submission of Stage-I Clearance compliance for issuance of Working Permission.

भवदीय कार्यालय का ज्ञापांक 232 दिनांक 11.03.2024

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि रॉची वन प्रमंडल अंतर्गत डी०भी०सी० के गोला से रॉची तक 220 के०भी० डबल सर्किट ट्रांसिमशन लाईन के निर्माण हेतु 99.7862 है० में से रॉची वन प्रमंडल, अंतर्गत 4.2557 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में झारखण्ड सरकार, वन पर्यावरण, एव जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र सं० 812 दिनांक 07.03.2024 द्वारा दो बिन्दंओं पर पृच्छा की गई है, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, रॉची के पत्रांक 441 दिनांक 02.04.2024 द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल्, रॉची द्वारा समर्पित पत्र की छायाप्रति एवं अनुपालन प्रतिवेदन की 05 (पॉच) प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन, क्षेत्रीय मुख्य बा संरक्षक,

Anup





# कार्यालय: — वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, रांची। वन भवन, ब्लॉक 'बी', डोरण्डा, रॉची—834002

ई-मेल:- cf-ranchi@ gov.in फोन0:-(0651)-2481814 मो0:-8987790111

पत्रांक:- ५५)

दिनांक:- 2 |04 | 24

02/04/24 P.M.

. सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,

राँची।

विषय:--

In-principle (Stage-1) approval of Central Government under Forest (Conservation) Act 1980 for diversion of 99.7862 ha. (Ranchi FD- 4.2557 ha.) of forest land in favour of NHAI, PIU Dhanbad for construction of Road from Jaina More to Gola (NH-23) & Gola to Ormanjhi (NH-320B) Section under Bharatmala Pariyojana in Bokaro, Ramgarh & Ranchi district of Jharkhand. Submission of Statge-I Clearance compliance for issuance of Working Permission.

प्रसंगः— विभागीय पत्रांक 812 दिनांक 07.03.2024 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक— सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 232 दिनांक 11.03.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में विषयक प्रस्ताव में दो बिन्दुओं पर की गई पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल ने पत्रांक 1100 दिनांक 22.03.2024 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:--

इस अंचल के अधीन राँची वन प्रमण्डल अंतर्गत
NHAI के कोई भी परियोजना स्टेज—1 पर
लंबित नही है। इस संबंध में परियोजना
निदेशक, NHAI, PIU रामगढ़ एवं परियोजना
निदेशक NHAI, PIU धनबाद द्वारा वचनबद्धता
समर्पित किया गया है। (अनु0—1 एवं 2)

Status .

2. स्टेज—I की शर्तो का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन।

इस संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची द्वारा समर्पित स्टेज—। की स्वीकृति में लगाये गये शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन अंचलीय पत्रांक 207 दिनांक 06.02. 2024 द्वारा भवदीय कार्यालय में समर्पित किया

जा चुका है। (अनु0–3)

अनु0:- छः(६) प्रतियों में।

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक, प्रावेशिक अंचल, रांची।



#### कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, शैंची वन प्रमंडल, शैंची। वन भवन, डोरण्डा, रांची- 834002 (झारखंड)

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651- 2482386

TO-FANCHI@GOV.III Ph. No. 0651-2480265 (U), FAX 0651-2482386

पत्रांक :- 1100 दिनांक :- २२-०उ-००१५

सेवा में,

विषय:-

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची।

In-principle (Stage-1) approval of Central Government under Forest (Conservation) Act 1980 for diversion of 99.7862 ha. (Bokaro FD- 66.5436 ha. Ramgarh FD- 28.9889 ha. & Ranchi FD- 4.2557 ha.) of forest land in favour of NHAI, PIU Dhanbad for construction of Road from Jaina More to Gola (NH-23) & Gola to Ormanjhi (NH-320B) Section under Bharatmala Pariyojana in Bokaro, Ramgarh & Ranchi district of Jharkhand.

Submission of Stage-I Clearance compliance for issuance of Working Permission.

प्रसंग:--

परियोजना निदेशक NHAI धनबाद का पत्रांक-1427 दिनांक-12.03.2024.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक् प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण ने विशेष कार्य पदाधिकारी, आरखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पत्र संख्या—812 दिनांक—07.03.2024 द्वारा विषयक् प्रस्ताव में दो बिन्दओं में की गर्ड पक्का का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया है, विवरणी निम्नवत है—.

Sl. No.	Query	Status
1	निर्गत दिशानिर्देश की कंडिका11(1) के आलोक मे	इस प्रमण्डल अंतर्गत NHAI के कोई भी परियोजना रटेज—I पर लंबित नहीं है। इस संबंध में परियोजना निदेशक NHAI, PIU- रामगढ़ एवं परियोजना निदेशक NHAI, PIU- धनबाद द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है। (अनु0—1 एवं 2)
2	'स्टेज—I की शर्तों का पूर्ण अनुंपालन प्रतिवेदन।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया गय है जो उनके पत्रांक—1433 दिनांक—12.03.2024 पर द्रष्ट्य
		है। (अनु0–3) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित स्टेज–I की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के
		पत्रांक—389 दिनांक—02.02.2024 के द्वारा भवदीय के अग्रसारित किया जा चुका है। (अनु0—4)

अतः कार्यानुमति प्रदान करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है।

अनु0-7 प्रति।



आपका विश्वासी वन प्रमण्डल प्रदाधिकारी, रांची वन प्रमण्डल, रांची।





# कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।

VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO - 827013

: - 06542-265440

Email - rccf-bokaro@gov.in/bokarorccf@gmail.com

पत्रांक : 702

दिनांक : 24/04/2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

**-**सह-

कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,

झारखण्ड, राँची।

विषय :--

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH-23 & 320B भारतमाला परियोजना (जैनामोड़—गोला—ओरमांझी खण्ड) निर्माण हेतु कुल—99.7862 है0 (बोकारो वन प्रमण्डल अन्तर्गत 66.5436 है0, रामगढ़ वन प्रमण्डल अन्तर्गत 28.9869 है0 एवं राँची वन प्रमण्डल अन्तर्गत 4.2557 है0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

- 1. झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र संख्या—812 दिनांक 07.03.2024
- 2. आपका ज्ञापांक 232 दिनांक 11.03.2024

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रासंगिक पत्र द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH-23 & 320B भारतमाला परियोजना (जैनामोड़—गोला—ओरमांझी खण्ड) निर्माण हेतु कुल—99.7862 हे0 (बोकारो वन प्रमण्डल अन्तर्गत 66.5436 हे0, रामगढ़ वन प्रमण्डल अन्तर्गत 28.9869 हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल अन्तर्गत 4.2557 हे0) वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव की स्टेज—I की स्वीकृति में लगाए गए शर्तों के अनुपालन के आलोक में दो बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

उक्त निदेश के आलोक में मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पत्रांक 384 दिनांक 13.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल से प्राप्त प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रमण्डलवार प्रतिवेदन एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत् है :--

क्र0	सरकार द्वारा की गई	प्रयोक्ता अभिकरण का अनुपालन	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का
सं0	पृच्छा		मंतव्य
1.	कार्यानुमित दिए जाने के पूर्व भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश की कंडिका—11(1) के आलोक में कार्यानुमित दिए जाने का प्रस्ताव एवं प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वचनबद्धता।	In this regard undertaking has been enclosed as  Annexure-22	उक्त संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण् द्वारा समर्पित वचनबद्धता संलग्न है। रामगढ़ वन प्रमण्डल अंतर्गत NHAI की स्टेज–2 लंबित परियोजना नहीं है।

125/4

(159)

रेज—। की शतों का पूर्ण अनुपालन प्रिवेदन।  के कार्युपालन प्रिवेदन सुर सुर में सुमित किया जा यूका है।  के स्कार द्वारा की गई पूछा  कार्युपालन प्रिवेदन सुर				(IS)
संगोधित किया जा युका हैं।  संकार द्वारा की गई पुष्का  प्रथा जो कार्यमुमित दिए जाने के पुण्का के जिल्ला जा अनुपालन के जिल्ला के लिला जा युका हैं।  पूष्का ते कार्यमुमित दिए जाने के जिल्ला के जिल्ल	2.	स्टेज—I की शर्तों का पूर्ण	,	स्टेज–I के शर्त्तों का पूर्ण
संगोधित किया जा युका हैं।  संकार द्वारा की गई पुष्का  प्रथा जो कार्यमुमित दिए जाने के पुण्का के जिल्ला जा अनुपालन के जिल्ला के लिला जा युका हैं।  पूष्का ते कार्यमुमित दिए जाने के जिल्ला के जिल्ल		अनुपालन प्रतिवेदन।	a. S	अनपालन प्रतिवेदन पर्व में
का प्रमाण्डल ।  का प्रमाण्डल	1			
ण्ण पुष्ठा  कार्यानुमति दिए जाने के प्रिकार हाव निर्माण कार्यानुमति दिए जाने के किंद्रजा—11(1) के आलोक में कार्यानुमति दिए जाने को किंद्रजा—11(1) के आलोक में कार्यानुमति दिए जाने का प्रस्ताव एवं प्रयोवता अभिकरण से प्राप्त वचनबद्धता।  अभिकरण हारा समर्पित वचनबद्धता।  अभिकरण हार समर्पित वचनवद्धता।  अभिकरण हार समर्पित वचनवद्धता।  अभिकरण हार समर्पित वचनवद्धता।  अभिकरण हार समर्पित वचनवद्धता।  अभिकरण	बोत	नरी तन गमण्डल ।		रागानरा विभवा जा युवम है।
प्रकार प्रवास प्रकार हुम निर्मंत विष्ण जाने के पूर्व भारत परकार हुम निर्मंत विशानिवेश के जार्यमुनि विश् जाने के पूर्व भारत परकार हुम निर्मंत विशानिवेश के जार्यमुनि विश् जाने का प्रसाव एवं प्रयोक्ता अभिकरण को अनुमार अस्ताव एवं प्रयोक्ता अभिकरण को अनुमार अस्ताव एवं प्रयोक्ता अभिकरण को कहना है कि NHAI का रहेज—II हेतु कोई लवित परियोजना नहीं हैं। वन प्रमण्डल पराधिकारों, बोकारों वन प्रमण्डल के हारा प्रविदेश किया नावा है कि वे इस बात भे सहमत है कि प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पराधिकारों, बोकारों वन प्रमण्डल पराधिकारों, बोकारों वन प्रमण्डल पराधिकारों, बोकारों वन प्रमण्डल के हारा प्रविदेश किया नावा है कि वे इस बात भे सहमत है कि प्रयोक्ता अभिकरण हारा स्वास्त्र रहेज—II प्रति किया नावा है। विभिन्न यहीं यह संज्ञान में लाना है कि वे इस बात भे सहमत है कि प्रयोक्ता अभिकरण हारा रहेज—II प्रति किया नावा है। अस्ते प्रयोक्ता अभिकरण हारा रहेज—II प्रति किया नावा है। अस्ते विश्व भी परियोजना का लेकिन वहीं विभाव परियोजना का लेकिन वहीं है। विभाव परियोजना अभिकरण हारा रहेज—II प्रति किया नावा है। अस्त स्वीत के व्यावपुर अभी तक नहीं किया नावा है। 'परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/H/ROAD/15119/2013) में दिनांक—06.10.2021 को प्रदत्त परियोजना है। इस संद्वा में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पराधिकारी, बोकारों वन प्रमण्डल पराधिकारी अभिकरण के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्वपूर्य सं प्रमण्डल पराधिकारी के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्वपूर्य सं सं तिवति है। 'भारी सं तिवति है। 'भारी सं तिवति है। 'भारी सं सं तिवति है। 'भारी सं सं सं तिवति है। 'भारी सं सं सं तिवति है। 'भारी सं सं सं सं तिवति है। 'भारी सं सं सं सं सं तिवति है। 'भारी सं				
ा कार्यानुमति दिए जाने के पूर्व गारत सरकार द्वारा विवाद में प्रदेश में पूर्व गारत सरकार द्वारा विवाद की किया निर्मय की की किया निर्मय की किया निर्मय की किया निर्मय की किया निर्मय की की कार्यक की	100000	Acceptable and Accept	प्रयोक्ता अभिकरण का अनुपालन	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का
पूर्व नारत सरकार द्वाचा निर्मत दिशा-निर्देश की किल्का-11(1) के आलोक में कार्यानुमति दिश जाने के मंकर्यानुमति दिश जाने के मंकर्यानुमति दिश जाने कार्यानुमति दित किया गया है कि के इस बात से सहमत है कि प्रयोवता अभिकरण के द्वाचा से सहमत है कि प्रयोवता अभिकरण को वान्यानुमति दित किया गया है कि के इस बात से सहमत है कि प्रयोवता अभिकरण हाथ संबंधित क्रेया गया है कि के इस बात से सहमत है कि प्रयोवता अभिकरण हाथ संबंधित क्रेया गया है। लेकिन यहाँ यह संबंधान में लाना है कि के प्रयोवता अभिकरण हाथ सर्वेश में प्रयोवता जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है। स्थावता अभिकरण हाथ सर्वेश में प्रयोवता अभिकरण होथ स्थावता अभिकरण को वान्य सर्वेश में प्रयोवता अभिकरण को वान्य मां स्थावता अभिकरण के बान्य स्थावता अभिकरण के स्थावता अभिकरण के स्थावता कियावता अभिकरण के स्थावता अभिकर				मंतव्य
पूर्व नारत सरकार द्वाप निर्मेश विद्यानियें वा विकरण द्वाप सार्माय के कियानिया है। देश जो कि कियानिया है। व्याप के कार्यानुमति दिए जाने के प्रतिवेद्य किया ग्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के द्वारा प्रतिवेद्य किया ग्रमण्डल के द्वारा प्रतिवेद्य किया ग्रमण्डल के द्वारा भी किसी भी परियोजना का लंबित नहीं है। लेकिन यहाँ यह संज्ञान में लाना है कि के प्रयोक्ता अभिकरण का योकारों वन प्रमण्डल से संबंधित स्टेज-II से किसी भी परियोजना का लंबित नहीं है। लेकिन यहाँ यह संज्ञान में लाना है कि के प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्टेज-II प्राप्त करने हें हु दिये मये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गाया है। परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/H/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/H/ROAD/15119/2013) के स्टेज-II के खुका है। (1) NH-23 (Proposal No. FP/H/ROAD/15119/2013) में दिनांक-क0.10.2021 को प्रदत्त स्टेज-II के प्रत्त संच्या मां प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल के पत्रांक-2011 दिनांक- 0.412.2023 हाथ स्थार पर प्राप्त दिनांक- 0.412.2023 हाथ स्थार पर दिनांक- पर्वाट्वा वहीं स्थार पर दिनांक- पर्वाट्वा के अनुसार स्वाट पर विद्या है। रुपांत दिनांक- पर्वाट्वा के अनुसार स्वट दिनांक- प्रवाट पर विद्या है। रुपांत दिनांक- प्रविद्या की करण के सन्त पर विद्या है। रुपांत दिनांक- प्रविद्या का है। रूपांत दिनांक- प्रविद्या की करण के सन्त संविद स्वट संवाद की करण के सन्त संविद संविद है। रुपांत स्विद संवाद की करण के सन्त संविद संविद है। रुपांत संविद संव	1.		In this regard undertaking has been enclosed as	उक्त के संबंध में प्रयोक्ता
िर्मात दिशा-निर्देश की कंडिका-11(1) के आलोक में कार्यानुमति दिए जाने का प्रस्ताव एवं प्रयोक्ता अमिकरण ककहता है कि NHAL का स्टेज-II हेतु कोई लंबित परियोजना नहीं है। जन प्रमण्डल पर प्रयोक्ता अमिकरण से प्राप्त वयनबद्धता।  व्यवनद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनवद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनवद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनवद्धता।  व		पूर्व भारत सरकार द्वारा		
कंडिका—11() के आलोक में कार्यानुमति दिए जाने कहानी है कि NHA1 का स्टेज—II हेतु कोई लंबित परियोजना नहीं है। वन प्रमण्डल परियोजना नहीं है। वन प्रमण्डल परियोजना नहीं है। वन प्रमण्डल के द्वारा प्रविवेदित किया गया है कि अयोवता अनिकरण से प्राप्त वयनबद्धता।  यवनबद्धता।  यवनवद्धता।  यवनबद्धता।  यवनवद्धता।  यवनबद्धता।  यवनबद्धता।  यवनवद्धता।  यवनबद्धता।  यवनवद्धता।  यवववद्धता।  यवववद्धता।  यववद्धता।  यववद्		निर्गत दिशा-निर्देश की		
में कार्योतुमति दिए जाने कहना है कि NHAI का स्टेज-II हेतु कोई लंबित परियोजना मंत्र कार्य प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वचनबद्धता।  बचनबद्धता।  प्रतिवेदित किया गया है कि अभिक्षा मारा है कि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस बात से सहमत है कि प्रयोक्ता अभिकरण का बोकारों वन प्रमण्डल से संबंधित स्टेज-II से किसी भी परियोजना का लंबित नहीं है। लंकिन यहाँ यह संज्ञान में लाना है कि पूर्व के दो वनमूमि के अपयोजन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण हाथा स्टेज-II प्राप्त करने हेतु दिये गये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।  परियोजना NH-23 (Proposal No. PP)/H/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. PP)/H/ROAD/15119/2013) में दिनांक-05.10.2021 को प्रयत्त स्टेज-II हो खुका है।  (1) NH-23 (Proposal No. PP)/H/ROAD/15119/2013) में दिनांक-05.10.2021 को प्रयत्त स्टेज-II हो खुका है।  (2) परियोजना अभिकरण के प्रयंक-2611 दिनांक-04.12.2023 हारा स्मार पत्र विद्या गया है।  भारत संवेद्या वेप प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार Road के दोनों तरफ Strip Plantation) का अनुसारत प्रयोक्ता अभिकरण के सर से लंबित के अनुसार Road के दोनों तरफ Strip Plantation) का अनुसारत अभिकरण के सर से लंबित के अनुसार Road के दोनों तरफ Strip Plantation) के अनुसार Road के दोनों तरफ Strip Plantation के अनुसार Road के दोनों तरफ Strip Plantation) के अनुसार Road के सेनों तरफ Strip Plantation) के अनुसार Road के सेनों तरफ Strip Plantation के अनुसार Road के सेनों तरफ Strip Plantation) के अनुसार Road के सेनों तरफ सर से लंबित है।				
का प्रस्ताव एवं प्रयोजना से हैं। वन प्रमण्डल पद्मिष्ठात विवन्धद्वता।  वयनबद्धता।  व्यवनबद्धता।  वयनबद्धता।  विवेच प्रयोजना अप्रवेच व्यवनवद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  विवेच प्रयोजना मंद्रीव्यवन्ध व्यवनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनबद्धता।  वयनवद्धता।  वयववद्धता।  वयवद्धता।  वयववद्धता।  वयववद्धता।  वयववद्धता।  वयववद्धता।  वयवव				अनुसार प्रयाक्ता अमिकरण का
अभिकरण से प्राप्त वचनबद्धता।  हैं। वन प्रमण्डल के द्वारा प्रिविदित किया गया है कि वे हस बात से सहमत है कि प्रयोक्ता अभिकरण का बोकारों वन प्रमण्डल से संबंधित स्टेज- ।। से किसी भी परियोजना का लंबित नहीं है। लेकिन यहाँ यह संझान में लाना है कि पूर्व के दो वनभूमि के आपयोजन प्रस्ताच से प्रयोक्ता अभिकरण हारा स्टेज-II प्राप्त करने हेंद्व दिये गये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।  परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/1519/2013) के स्टेज-II हो चुका है।  (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/1519/2013) के दिनांक-05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज-II के > भार्त सं0-3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संवंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल को प्रयोक्त-2611 दिनांक- 04.12.2023 हारा स्मार पत्र दिया गया है। > भार्त सं0-7 (IRC noms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता औरकरण के स्तर से तरिता है। (2)NH-32 (Proposal No.				कहना है कि NHAI का स्टेज-II
बोकारो यन प्रमण्डल के द्वारा प्रतिविदित किया गया है कि वे इस बात से सक्तात है कि प्रयोक्ता अमिकरण का बोकारो वन प्रमण्डल से संबंधित स्टेज-II से किसी भी परियोजना का लंबित नहीं है। लेकिन यहीं यह संज्ञान में लाना है कि प्रयोजन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अमिकरण हारा स्टेज-II प्राप्त करने हेंचु दिये गये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।  परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) का स्टेज-II हो खुका है।  (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक-05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज-II हो खुका है।  (1) NH-3 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक-06.10.2021 को प्रदत्त स्टेज-II हो खुका है।  (2) भाते सं0-3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अमिकरण को चन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल पत्रांचिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांच-2611 दिनांक- 04.2023 होए। समार पत्र दिया गया है।  ** भाते सं0-7 (IRC norms के अनुस्तालन प्रयोक्ता अमिकरण के चन प्रमण्डल प्रयोक्ता अमिकरण के चन प्रमार पत्र दिया गया है।  ** भाते सं0-7 (IRC norms के अनुस्तालन प्रयोक्ता अमिकरण के चला से सोवित है। (2)NH-32 (Proposal No.	(*)			
प्रतिवेदित किया गया है कि वे इस बात से सहमत है कि प्रयोक्ता अभिकरण का योकाएं वान प्रमण्डल से संबंधित स्टेज—II से किसी भी परियोजना का लंबित नहीं है। लेकिन यहाँ यह संज्ञान में लाना है कि पूर्व के दो वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अमिकरण द्वारा स्टेज—II प्राप्त करने हेंचु दिये गये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है। परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) का स्टेज—II हो चुका है। (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10,2021 को प्रदत्त परेज—II हो चुका है। (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10,2021 को प्रदत्त स्टेज—II हो चुका है। (2) प्रधान परेज—II हो चुका है। (3) प्रधान परेज—II हो चुका है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वान प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारों वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारों वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारों वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारों वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12,2023 होग्य स्वार पत्र दिया गया है। भातें संо—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनों तरफ प्रांत के तर से लंदित है। (2)NH-32 (Proposal No. (2)NH-32 (Propo		अभिकरण से प्राप्त		है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
प्रतिवेदित किया गया है कि वे इस बात से सहमत है कि प्रयोक्ता अमिकरण का वोकाएं। वन प्रमण्डल से संबंधित स्टेज-11 से किसी भी परियोजना का लंबित नहीं है। लंकिन यहाँ यह संज्ञान में लाना है कि पूर्व के दो वनमृमि के अपयोजन प्रस्तान में प्रयोच्या अमिकरण द्वारा स्टेज-11 प्राप्त करने हेंतु दिये गये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है। परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) का स्टेज-11 हो युक्त है। (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक-05.1021 को प्रदत्त स्टेज-11 के प्रवत्त स्टिज-11 के प्रवत्त स्टेज-11 के प्रवत्त स्टेज-12 के प्रवित्त स्टेज-12 के प्रवत्त स्टेज-12 के प्रवत्त स्टेज-12 के प्रवत		वचनबद्धता।		बोकारो वन प्रमण्डल के द्वारा
इस बात से सहमत है कि प्रयोक्ता अमिकरण का बोकारो वन प्रमण्डल संबंधित स्टेज-  से किसी भी परियोजना का लंबित नहीं हैं। लेकिन यहाँ यह संज्ञान में लाना है कि पूर्व के दो वनमृमि के अपयोजन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अमिकरण हात्ता स्टेज- । प्रान्त कर्म हेंचु दिये गये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।  परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) के स्टेज- । हो चुका है। (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक-05-10.2021 को प्रदत्त रंज- । हो चुका है। (2) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक-05-10.2021 को प्रदत्त रंज- । हो भात सं0-3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अमिकरण को चन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक-2611 दिनांक- 04-12-2023 हारा स्नार पत्र दिया गया है। भात सं0-7 (IRC noms के अनुसार Road के दोनो तरफ अनुसार स्वात है। (2)NH-32 (Proposal No.				
प्रयोक्ता अभिकरण का बोकारो वन प्रमण्डल से संबंधित रहेज—II से किसी भी परियोजना का लंबित नहीं है। लेकिन यहाँ यह संझान में लाना है कि पूर्व के दो वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रहेज—II प्राप्त करने हेतु दिये गये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।  परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/1519/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त परेज—II हो खुका है।  (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त रहेज—II के अगर्त सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारों, बोकारों वन प्रमण्डल के प्रवांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  ** भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के तरूर संवित है।  (2)NH-32 (Proposal No.		<u>.</u>		
वन, प्रमण्डल से संबंधित स्टेज-II से किका प्राचित स्टी है। लेकिन यहाँ यह संज्ञान में लाना है कि पूर्व के दो वनमृत्ति के अपयोजन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्टेज-II प्राप्त करने हेतु दिये गये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।  परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) का स्टेज-II हो जुका है।  (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) के दिनांक-05-10.2021 को प्रदत्त स्टेज-II के  > गार्त सं0-3 (Diverted Land पूर्व CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारों, बोकारों वन प्रमण्डल के पत्रांक-2611 दिनांक- 04.12.2023 द्वारा स्माप पत्र दिया गया है।  > गार्त सं0-7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोकता अभिकरण के चल प्रसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोकता अभिकरण के स्वर से लवित है।				
से किसी भी परियोजना का लंबित नहीं है। वेकिन यहाँ यह संज्ञान में लाना है कि पूर्व के दो बनगृमि के अपयोजन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अमिकरण द्वारा स्टेज—II प्राप्त करने हेतु दिये गये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।  • परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) को स्टेज—II हो चुका है।  • (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज—II हो चुका है।  • भात सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल के प्रनांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्माप पत्र दिया गया है।  • भात सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनों तरफ Strip Plantation) का अनुसार Road के दोनों तरफ				
लंबित नहीं है। लेकिन यहाँ यह संज्ञान में लाना है कि पूर्व के दो वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रचेज—II प्राप्त करने हेतु दिये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।  परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) का रचेज—II हो चुका है। (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त रचेज—II के  भार्त सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन्न प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है। (2)NH-32 (Proposal No.				
लंबित नहीं है। लेकिन यहाँ यह संज्ञान में लाना है कि पूर्व के दो वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रचेज—II प्राप्त करने हेतु दिये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।  परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) का रचेज—II हो चुका है। (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त रचेज—II के  भार्त सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन्न प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है। (2)NH-32 (Proposal No.				से किसी भी परियोजना का
है कि पूर्व के दो वनमूमि के अपयोजन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्टेज—II प्राप्त करने हेतु दिये गये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।  परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) का स्टेज—II हो चुका है।  (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज—II के अप परं टेज—II के अप परं टेज—II के प्रवत्त स्टेज—II के प्रवित्त के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.				लंबित नहीं है।
है कि पूर्व के दो वनमूमि के अपयोजन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्टेज—II प्राप्त करने हेतु दिये गये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।  परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) का स्टेज—II हो चुका है।  (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज—II के अप परं टेज—II के अप परं टेज—II के प्रवत्त स्टेज—II के प्रवित्त के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.				लेकिन यहाँ यह संज्ञान में लाना
अपयोजन प्रस्ताव में प्रयोवता अमिकरण द्वारा स्टेज—II प्राप्त करने हेतु दिये गये Undertaking का Compliance कई वर्ष वीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।  परियोंजना NH-23 (Proposal No. FP)JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP)JH/ROAD/16768/2013) का रहेज—II हो चुका है।  (1) NH-23 (Proposal No. FP)/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रवत्त रहेज—II के अगतं सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संवंध में प्रयोवता अमिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारों वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारों वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा समाप पत्र दिया गया है।  **भात सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोकता अमिकरण के रतर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.				
अभिकरण द्वारा स्टेज—II प्राप्त करने हेंतु दिये गये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।  परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) का स्टेज—II हो चुका है।  (1) NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रवत्त स्टेज—II के  > भार्त सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोजता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 हारा समाप पत्र दिया गया है।  > भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोकता अभिकरण के स्तरफ से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.		1		आयोजन एउनान में प्रापेक्त
करने हेतु दिये गये Undertaking का Compliance कई वर्ष वीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।  परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) का रटेज—II हो चुका है।  (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त रटेज—II के  > भात सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  > भात सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुसारल प्रयोक्ता अभिकरण के सन्तर संवित है।  (2)NH-32 (Proposal No.		-		
का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।  परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) का स्टेज—II हो चुका है।  (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज—II के  > भार्त सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संवंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 हारा स्मार पत्र दिया गया है।  > भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.				
जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।  परियोजना NH-23 (Proposal No.  FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) का स्टेज—II हो चुका है।  (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रवत्त स्टेज—II के  > भार्त सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारों वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारों वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  > भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनों तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.		•		करन हतु दियं गर्य Undertaking
किया गया है।  परियोजना NH-23 (Proposal No.  FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) का स्टेज—II हो चुका है।  (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज—II के  > भार्त सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पाइकिकारी, बोकारों वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा समार पत्र दिया गया है।  > भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनों तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.				का Compliance कई वर्ष बीत
किया गया है।  परियोजना NH-23 (Proposal No.  FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) का स्टेज—II हो चुका है।  (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज—II के  > भार्त सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पाइकिकारी, बोकारों वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा समार पत्र दिया गया है।  > भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनों तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.				जाने के बावजूद अभी तक नहीं
परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) को स्टेज-II हो चुका है।  (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक-05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज-II के प्रवत्त स्टेज-II के प्रवत्त स्टेज-II के भार्त सं0-3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अमिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक-2611 दिनांक- 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  भार्त सं0-7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अमिकरण के रतर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.			,	किया गया है।
No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) का स्टेज—II हो चुका है। (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज—II के  > भार्त सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  > भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है। (2)NH-32 (Proposal No.		£		-0->
FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) का स्टेज-II हो चुका है।  (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक-05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज-II के  ▶ भार्त सं0-3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक-2611 दिनांक- 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  ▶ भार्त सं0-7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.				
NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) का स्टेज—II हो चुका है। (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज—II के  > भार्त सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  > भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के रतर से लंबित है। (2)NH-32 (Proposal No.		The state of the s		NAME OF THE PARTY
NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) का स्टेज—II हो चुका है। (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज—II के  > भार्त सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  > भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के रतर से लंबित है। (2)NH-32 (Proposal No.			± v	FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं
FP/JH/ROAD/16768/2013) का स्टेज—II हो चुका है। (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज—II के  > भार्त सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  > भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है। (2)NH-32 (Proposal No.				NH-32 (Proposal No.
स्टेज—II हो चुका है। (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज—II के  ➤ भार्त सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  ➤ भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के रतर से लंबित है। (2)NH-32 (Proposal No.		8		92 1995
(1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज—II के  > भार्त सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  > भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.				
FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त रहेज—II के  ▶ भार्त सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  ▶ भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.				
दिनांक−05.10.2021 को प्रदत्त रटेज−II के  ➤ भार्त सं0−3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक−2611 दिनांक− 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  ➤ भार्त सं0−7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.				
स्टेज—II के  > भार्त सं0—3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  > भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.				
<ul> <li>भार्त सं0-3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक-2611 दिनांक- 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।</li> <li>भार्त सं0-7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के रत्तर से लंबित है।</li> <li>(2)NH-32 (Proposal No.</li> </ul>	1			
Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक−2611 दिनांक− 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  > भात सं0−7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के रतर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.				स्टज−II के
Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक−2611 दिनांक− 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  > भात सं0−7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के रतर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.				▶ भार्त सं0-3 (Diverted
KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक−2611 दिनांक− 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  > भार्त सं0−7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.	1			(
Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक−2611 दिनांक− 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  ▶ भार्त सं0−7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.			20	
जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक−2611 दिनांक− 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  ▶ भार्त सं0−7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.				
प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है। भार्त सं0-7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।			9	
प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.				जाना ह। इस सब्ध मे
वन प्रमण्डल के पत्रांक−2611 दिनांक− 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है।  ▶ भार्त सं0−7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.		*		
दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है। ► भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है। (2)NH-32 (Proposal No.				
दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है। ➤ भार्त सं0—7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है। (2)NH-32 (Proposal No.				वन प्रमण्डल के पत्रांक—2611
स्मार पत्र दिया गया है। <b>भार्त सं0-7</b> (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है।  (2)NH-32 (Proposal No.				
भार्त संo−7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है। (2)NH-32 (Proposal No.				9
अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है। (2)NH-32 (Proposal No.			2	
Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है। (2)NH-32 (Proposal No.		8.		
अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है। (2)NH-32 (Proposal No.				
के स्तर से लंबित है। (2)NH-32 (Proposal No.				
(2)NH-32 (Proposal No.				
(2)NH-32 (Proposal No.				के स्तर से लंबित है।
				Sign Real time Contractor (Apr. 8).
FP/JH/ROAD/16768/2013)				
				FP/JH/KOAD/16768/2013)

x			(1158)
			में दिनांक—23.08.2017 को प्रदत्त स्टेज—II के  शर्त सं0—6 (Strip plantation on both side & central verge of road)  शर्त सं0—7 (Soil & Water Conservation scheme to arrest soil degradation) से संबंधित शर्त के अनुपालन के क्रम में सिर्फ वचनबद्धता दी गई है। पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से समर्पित नहीं किया गया है।
2.	स्टेज—I की शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन।	C. Conditions which need to be complied prior to handling over of forest lan by the State Forest Department.    The KML files of the forest area to be diverted and the CAarea shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval.    The Compliance report shall be uploaded on e-portal (https:// parivesh. nic.in)   D. Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be suitably demarcated on given. Which is further	स्टेज—I के शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन पूर्व में समर्पित किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्टेज—I के शर्त सं0—3 के अनुसार Wildlife Management Plan तथा Soil & Moisture Conservation Plan अभी तक प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित नहीं किया गया है।
		ground at the proceed to Competent Authority by DFO, Ramgarh vide letter no. 2708 dated 22.12.2023  Divisional Forest Officer.	

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के द्वारा अनुशंसा की गई है कि प्रयोक्ता अभिकरण को Working Permission दिये जाने के समय यह ध्यान रखा जाय कि Wildlife Management Plan के तहत जहाँ पर Overpass/Underpass प्रस्तावित है, उस जगह को छोड़कर बाकी हिस्सों पर ही 1 वर्ष की कार्यानुमित दिया जाना वांछनीय होगा।

(157)

भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम, 1980 के तहत जारी की गई Consolidate guideline handbook के पृष्ठ सं0—31 के अनुसार Working Permission का तात्पर्य है— "Working permission means permission granted to linear projects before 'Final' approval to mobilize the resources to commence the preliminary project work other than black topping, concretization, laying of railway tracks, charging of transmission lines, or any work of permanent nature which entails completion of the project."

अतः प्रयोक्ता अभिकरण के अनुरोध पर सक्षम स्तर से 1 वर्ष की Working Permission दिये जाने में निम्न शर्त अधिरोपित किये जाने की कृपा की जाय :—

- (1) इस परियोजना (जैनामोड़—गोला—ओरमांझी) के Working Permission में Wildlife Management Plan के तहत प्रस्तावित Overpass/Underpass के लिए चिन्हित स्थल पर कार्यानुमित Wildlife Management Plan के सक्षम स्तर से स्वीकृति होने के उपरान्त ही लागू होंगे।
  - (2) परियोजना NH-23 Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013 में प्रदत्त स्टेज-II :-
    - > शर्त सं0-3 का अनुपालन (Diverted Land एवं CA Land का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना) शीघ्र सुनिश्चित किया जाय।
    - शर्त सं0-7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आगामी मानसून (वर्ष-2024) तक सुनिश्चित किया जाय।
  - (3) परियोजना NH-32 Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013 में प्रदत्त स्टेज—II :-
    - शर्त सं0-6 (Strip plantation on both side & central verge of road) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आगामी मानसून (वर्ष-2024) तक किया जाय।
    - > शर्त सं0-7 (Soil & Water Conservation scheme to arrest soil degradation) से संबंधित शर्त के अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से निश्चित रूप से अतिशीघ समर्पित किया जाय।

अतः मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदनों की पाँच-पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,

अनु0 :- यथोक्त।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,

कुष्क बोकारो। 24 04





## कार्यालय : मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक-'ए' पुरूलिया रोड़, चास, बोकारो-827013 Email-cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.com मो० - 8987790301

पत्रांक : 384 , दिनांक : 13-04-2024

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।

विषय:— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH-23 & 320B भारतमाला परियोजना (जैनामोड़—गोला—ओरमांझी खण्ड) निर्माण हेतु कुल—99.7862 हे0 (बोकारो वन प्रमण्डल अन्तर्गत 66.5436 हे0, रामगढ़ वन प्रमण्डल अन्तर्गत 28.9869 हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल अन्तर्गत 4.2557 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र संख्या—812 दिनांक 07.03.2024 एवं तत्संबंधी प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का कार्यालय ज्ञापांक 232 दिनांक 11.03.2024।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रासंगिक पत्र द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH-23 & 320B भारतमाला परियोजना (जैनामोड़—गोला—ओरमांझी खण्ड) निर्माण हेतु कुल—99.7862 हे0 (बोकारो वन प्रमण्डल अन्तर्गत 66.5436 हे0, रामगढ़ वन प्रमण्डल अन्तर्गत 28.9869 हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल अन्तर्गत 4.2557 हे0) वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव की स्टेज—I की स्वीकृति में लगाए गए शर्तों के अनुपालन प्रतिवेदन के आलोक में दो बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

Ohn !

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल के पत्रांक 575 दिनांक 21.03.2024 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक 690 दिनांक 08.04.2024 के द्वारा उक्त पृच्छा के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रमण्डलवार प्रतिवेदन एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत् है :—

क्र0 सं0	सरकार द्वारा की गई पृच्छा	प्रयोक्ता अभिकरण का अनुपालन	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
	कार्यानुमित दिए जाने के पूर्व भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश की कंडिका—11(1) के आलोक में कार्यानुमित दिए जाने का प्रस्ताव एवं प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वचनबद्धता।	In this regard undertaking has been enclosed as  Annexure-22	उक्त संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित वचनबद्धता संलग्न है रामगढ़ वन प्रमण्डल अंतर्गत NHAI की स्टेज—2 लंबित परियोजना नहीं है।

(1155

स्टेज-I की शर्तों का 2. स्टेज-I के शर्तों का पूर्ण अनुपालन पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन। प्रतिवेदन पूर्व में समर्पित किया जा चुका है। जीकारी वन प्रमण्डल। क्र0 सरकार द्वारा की गई प्रयोक्ता अभिकरण का अनुपालन सं० पुच्छा वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य कार्यानुमति दिए जाने के In this regard undertaking has been enclosed as उक्त के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व भारत सरकार द्वारा Annexure-22 द्वारा समर्पित वचनबद्धता संलग्न है. निर्गत दिशा-निर्देश की जिसके अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण कंडिका-11(1) का कहना है कि NHAI का आलोक में कार्यानुमति स्टेज-II हेत कोई दिए जाने का प्रस्ताव परियोजना नहीं है। वन प्रमण्डल एवं प्रयोक्ता अभिकरण पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के से प्राप्त वचनबद्धता। द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे इस बात से सहमत है कि प्रयोक्ता अभिकरण का बोकारो वन प्रमण्डल से संबंधित स्टेज-॥ से किसी भी परियोजना का लंबित नहीं है। लेकिन यहाँ यह संज्ञान में लाना है पूर्व के दो वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्टेज-।। प्राप्त करने हेतु दिये गये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया 青 परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. स्टेज-II हो चुका है। (1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) दिनांक-05.10.2021 को स्टेज-II के ▶ शर्त सं0-3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के पत्रांक-2611 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र दिया गया है। ▶ शर्त सं0-7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से लंबित है। (2)NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013)

-			(154)
			दिनांक—23.08.2017 को प्रदत्त रटेज—II के  शर्त सं0—6 (Strip plantation on both side & central verge of road) शर्त सं0—7 (Soil & Water Conservation scheme to arrest soil degradation) से संबंधित शर्त के अनुपालन के क्रम में सिर्फ वचनबद्धता दी गई है। पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से
			समर्पित नहीं किया गया है।
2.	स्टेज—I की शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन।	C. Conditions which need to be complied prior to handling over of forest lan by the State Forest Department.  9 The KML files of the forest area to be diverted and the CAarea shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval.  11 The Compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh. nic.in)  12 The Compliance report has been uploaded on e-portal (https://parivesh. nic.in) by User Agency.	स्टेज—I के शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन पूर्व में समर्पित किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्टेज—I के शर्त सं0—3 के अनुसार Wildlife Management Plan तथा Soil & Moisture Conservation Plan अभी तक प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित नहीं किया गया है।
		D. Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:  6 The boundary of the diverted forest shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned  D. Conditions which need to be strictly complied on forest land to the User Department but the undertaking shall be submitted undertaking of user agency is already given. Which is further proceed to Competent Authority by DFO, Ramgarh vide letter no. 2708 dated 22.12.2023	

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल के द्वारा अनुशंसा की गई है कि प्रयोक्ता अभिकरण को Working Permission दिये जाने के समय यह ध्यान रखा जाय

2708 dated 22.12.2023

Divisional Forest

Officer.

कि Wildlife Management Plan के तहत जहाँ पर Overpass/Underpass प्रस्तावित है, जगह को छोड़कर बाकी हिस्सों पर ही 1 वर्ष की कार्यानुमति दिया जाना वांछनीय होगा।

भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम, 1980 के तहत जारी की गई Consolidate guideline handbook के पृष्ठ सं0-31 के अनुसार Working Permission का तात्पर्य है— "Working permission means permission granted to linear projects before 'Final' approval to mobilize the resources to commence the preliminary project work other than black topping, concretization, laying of railway tracks, charging of transmission lines, or any work of permanent nature which entails completion of the project."

अतः प्रयोक्ता अभिकरण के अनुरोध पर सक्षम स्तर से 1 वर्ष की Working Permission दिये जाने में निम्न शर्त अधिरोपित किये जाने की कृपा की जाय :-

- (1) इस परियोजना (जैनामोड़—गोला—ओरमांझी) के Working Permission में Wildlife Management Plan के तहत प्रस्तावित Overpass/Underpass के लिए चिन्हित स्थल पर कार्यानुमित Wildlife Management Plan के सक्षम स्तर से स्वीकृति होने के उपरान्त ही लागू होंगे।
- (2) परियोजना NH-23 Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013 में प्रदत्त स्टेज—II :-
  - ➤ शर्त सं0—3 का अनुपालन (Diverted Land एवं CA Land का KML E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना) शीघ्र सुनिश्चित किया जाय।
  - ➤ शर्त सं0-7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आगामी मॉनसून (वर्ष-2024) तक सुनिश्चित किया जाय।
- (3) परियोजना NH-32 Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013 में प्रदत्त स्टेज-II:-
  - ▶ शर्त सं0−6 (Strip plantation on both side & central verge of road) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आगामी मॉनसून (वर्ष-2024) तक किया जाय।
  - ➤ शर्त सं0-7 (Soil & Water Conservation scheme to arrest soil degradation) से संबंधित शर्त के अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से निश्चित रूप से अतिशीघ्र समर्पित किया जाय। अतः प्राप्त प्रतिवेदनों की छः प्रतियाँ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है

कि आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

मुख्य वन संरक्षक

प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

3/04/2024





## कार्यालय: – वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।

#### BLOCK-A, VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO-827013

E-mail: dfo-bokaro@gov.in & bokarodfo@gmail.com

Phone/Fax No: +91-6542-265142

पत्रांक :- 690

दिनांक :- 08.04.2024


F. c. Adr When: 10,04/2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

विषय:--

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग—NH-23 & 320 B भारतमाला परियोजना (जैनामोड़—गोला— ओरमांझी खण्ड) पथ निर्माण हेतु कुल—99.7862 हे0 (बोकारो वन प्रमण्डल अन्तर्गत 66.5436 हे0, रामगढ़ वन प्रमण्डल अन्तर्गत 28.9869 हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल अन्तर्गत 4.2557 हे0) वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।



(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक—232 दिनांक—11.03.2024

(3) भवदीय का पत्रांक-309 दिनांक-27.03.2024

(4) इस कार्यालय का पत्रांक—610 दिनांक—28.03.2024 एवं पत्रांक—670 दिनांक— 05.04.2024

(5) प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक—1432 दिनांक—12.03.2024 एवं पत्रांक—37 दिनांक—06.04.2024

प्रविक्ति प्राविक्तिक वर्षे । प्रविक्ति १० १५ वर्षे । प्रविक्ति १० १५ वर्षे

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्र सं0—वनभूमि—09/2023—812 व0प0 राँची, दिनांक—07.03.2024 के द्वारा कुल—2 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी, जिसके आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक—1432 दिनांक—12.03.2024 द्वारा अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक—670 दिनांक—05.04.2024 द्वारा अग्रसारित किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण का प्रतिवेदन पूर्ण नहीं होने के कारण प्रयोक्ता अभिकरण को कहा गया कि वो पूर्ण प्रतिवेदन समर्पित करे। प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक—37 दिनांक—06.04.2024 द्वारा पूर्व के ही प्रतिवेदन को अंतिम प्रतिवेदन मानते हुए पुनः समर्पित किया है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः सरकार के द्वारा की गई पृच्छा, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो का मंतव्य निम्नवत है :--

क्र0 सं0	सरकार द्वारा की गई पृच्छा	प्रयोक्ता अभिकरण का अनुपालन	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
1	कार्यानुमति दिए जाने के पूर्व भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश की कंडिका—11(1) के आलोक में कार्यानुमति दिए जाने का प्रस्ताव		उक्त के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित वचनबद्धता संलग्न है, जिसके अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण का कहना है कि NHAI का स्टेज—11 हेतु कोई लंबित परियोजना नहीं है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से सहमत है कि प्रयोक्ता अभिकरण का बोकारो वन प्रमण्डल से संबंधित स्टेज—11 से किसी भी परियोजना का लंबित नहीं है।



		3.1
एवं प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वचनबद्धता।		लेकिन यहाँ यह संज्ञान में लाना है कि पूर्व के दो वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्टेज—II प्राप्त करने हेतु दिये गये Undertaking का Compliance कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है।
		परियोजना NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) एवं NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) का स्टेज-II हो चुका है।
		(1) NH-23 (Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013) में दिनांक—05.10.2021 को प्रदत्त स्टेज—II के
		शर्त सं0─3 (Diverted Land एवं CA Land) का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना है।
		इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण को इस कार्यालय के पत्रांक—2611 दिनांक— 04.12.2023 द्वारा स्मार पत्र
*		दिया गया है।  ➤ शर्त सं0-7 (IRC norms के  अनुसार Road के दोनो तरफ,  Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण
		कं स्तर से लंबित है।  (2) NH-32 (Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013) में दिनांक23.08.2017 को प्रदत्त स्टेज-II के
		> शर्त सं0—6 (Strip plantation on both side & central verge of road) > शर्त सं0—7 (Soil & Water
		Conservation scheme to arrest soil degradation) से संबंधित शर्त के अनुपालन के क्रम में सिर्फ वचनबद्धता दी गई है। पूर्ण अनुपालन
		प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से समर्पित नहीं किया गया है।
2 स्टेज—1 की शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन।	C. Conditions which need to be complipation to handling over of forest lan by the State Forest Department.    The KML   The KML file of the files of the forest area to uploaded by DFC   Department	he दिनांक—14.12.2023 हारा स्टेज—I के शर्तो का अनुपालन समर्पित किया गय है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्टेज— प्र के शर्त सं0—3 के अनुसार Wild Life
	be diverted and the CAarea shall be unloaded compliance.	Moisture Conservation Plan 314

	on the e- Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval.  11 The Compliance report shall be uploaded on e-portal (https:// parivesh. nic.in)  However, this has to be uploaded at the time of Stage-II. The KML file of Ranchi will be upload accordingly. The same if noted for compliance report has been uploaded on e- portal (https:// parivesh. nic.in)  However, this has to be uploaded at the time of Stage-II. The Compliance of Ranchi will be upload accordingly. The same if noted for compliance report has been uploaded on e- portal (https:// parivesh. nic.in)	
	D. Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:  6 The In this matter the	
	boundary of the diverted given. Which is forest shall be suitably demarcated on ground at the divertaking of user agency is already given. Which is further proceed to Competent Authority by DFO, Ramgarh vide letter no. 2708 dated 22.12.2023	
	project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	

यहाँ यह अनुरोध है कि प्रयोक्ता अभिकरण को Working Permission दिये जाने के समय यह ध्यान रखा जाय कि Wild Life Management Plan के तहत जहाँ पर Overpass/Underpass प्रस्तावित है, उस जगह को छोड़कर बाकी हिस्सों पर ही 1 वर्ष की कार्यानुमति दिया जाना वांछनीय होगा।

भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम, 1980 के तहत जारी की गई Consolidate guideline handbook के पृष्ठ सं0—31 के अनुसार Working Permission का तात्पर्य है— "Working permission means permission granted to linear projects before 'Final' approval to mobilize the resources to commence the preliminary project work other than black topping, concretization, laying of railway tracks, charging of transmission lines, or any work of permanent nature which entails completion of the project."



अतः प्रयोक्ता अभिकरण के अनुरोध पर सक्षम स्तर से 1 वर्ष की Working Permission दिये जाने में निम्न शर्त अधिरोपित किये जाने की कृपा की जाय :-

- (1) इस परियोजना (जैनामोड़-गोला-ओरमांझी) के Working Permission में Wildlife Management Plan के तहत प्रस्तावित Overpass/Underpass के लिए चिन्हित स्थल पर कार्यानुमित Wildlife Management Plan के सक्षम स्तर से स्वीकृति होने के उपरान्त ही लागू होंगे।
  - (2) परियोजना NH-23 Proposal No. FP/JH/ROAD/15119/2013 में प्रदत्त स्टेज-II :--
    - ▶ शर्त सं0-3 का अनुपालन (Diverted Land एवं CA Land का KML File E-Green Watch Portal पर Upload किया जाना) शीघ्र सुनिश्चित किया जाय।
    - > शर्त सं0-7 (IRC norms के अनुसार Road के दोनो तरफ Strip Plantation) का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आगामी मॉनसून (वर्ष-2024) तक सुनिश्चित किया जाय।
    - (3) परियोजना NH-32 Proposal No. FP/JH/ROAD/16768/2013 में प्रदत्त स्टेज-II :--
      - ➤ যার্ব सं0—6 (Strip plantation on both side & central verge of road) কা अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आगामी मॉनसून (वर्ष–2024) तक किया जाय।
      - ➤ খার্ন सं0-7 (Soil & Water Conservation scheme to arrest soil degradation) से संबंधित शर्त के अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से निश्चित रूप से अतिशीघ्र समर्पित किया जाय।

अतः अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

अन्0-यथोक्त।

बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।

ज्ञापांक- 690

दिनांक- 08.04.2024

प्रतिलिपि :- (1) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् समपित।

(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, समर्पित।

बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।

ज्ञापांक- 690

दिनांक- 08.04.2024

प्रतिलिपि:— (3) परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एन०एच०ए०आई० कॉम्प्लेक्स, कान्ड्रा, पोस्ट—भीतीया, थाना—गोबिन्दपुर, धनबाद—828109 ईमेल-dhan@nhai.org को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

> वेन प्रमण्डल पदाधिकारी बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो।





# कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।

VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO - 827013

: - 06542-265440

Email - rccf-bokaro@gov.in/bokarorccf@gmail.com

पत्रांक: 15

दिनांक : 06/01/24

सेवा में.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

--सह--

कार्यकारी निदेशक,

बंजर भूमि विकास बोर्ड,

झारखण्ड, राँची।

विषय:-

SL

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH-23 & 320B मारतमाला परियोजना (जैनामोड़—गोला—ओरमांझी खण्ड) निर्माण हेतु कुल—99.7862 हे0 (बोकारो वन प्रमण्डल अन्तर्गत 66.5436 हे0, रामगढ़ वन प्रमण्डल अन्तर्गत 28.9869 हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल अन्तर्गत 4.2557 हे0) वनभूमि अपयोजना प्रस्ताव के संबंध में।

- 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र सं0- FP/JH/ROAD/146250/2021/1177 दिनांक 13.06.2023
- 2. आपका ज्ञापांक 615 दिनांक 14.06.2023 तथा पत्रांक 1226 दिनांक 13.12.2023।

उपुर्यक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-FP/JH/ROAD/146250/2021/1177 दिनांक 13.06.2023 द्वारा विषयगत परियोजना में कतिपय शर्तो के साथ स्टेज—I की स्वीकृति प्रदान की गई है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पत्रांक 1462 दिनांक 23.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल से प्राप्त उक्त शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है:—

#### बोकारो वन प्रमण्डल

No	Conditions		Reply b	y UA	Remarks
A.	Conditions which need to be comp	State Forest Department			
1	The cost of Compensatory afforestation on the CA land (201.885 ha) at the prevailing wage rates as per Compensatory afforestation scheme (including) the cost of Survey, demarcation and erection of Permanent pillars	As demanded by DFO-Bokaro (Lt. no. 2036 dt. 06.09.2023) to fulfill the condition No. 1, g wage insatory luding) recation pillars  As demanded by DFO-Bokaro (Lt. no. 2036 dt. 06.09.2023) to fulfill the condition No. 1, g wage insatory verification from Nodal Officer forest department at Parivesh Portal on 29.09.2023, has been deposited by this office (Annexure-1 & 2):-			The cost of Compensatory Afforestation for 176.37 ha. area identified in Bokaro Division (134 ha for Bokaro Forest Division and 42.37 ha for Ramgarh Forest Division) is Rs. 18,93,19,658/ Demand note was raised by DFO,
	etc. as required for securing the land against encroachment) including that required for patch	Division	Forest area (in ha)	Deposited Amount (in Rs.)	Bokaro vide letter no. 2036 dated 06.09.2023. Rs. 18,93,19,658/- has been deposited by UA in CAMPA
	plantation shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be	Bokaro	66.5436	Rs. 336227041/- out of which Rs, 189319658/- for CA Amount.	A/c through RTGS Apl No. 61146250122. Details are as per CAMPA Levies Format annexed as Annexure-1 & 2.
	maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.			***	

V 69/01

SI. No.	Conditions	Reply by UA	Remarks
2	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 99.7862 ha forest area to be diverted under this proposal from the user Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (c) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	As per demand of DFO, Bokaro letter No. 2036 dated 06.09.2023 Rs. 336227041.00 has been deposited out of which 81754802.00 corresponds to NPV amount deposited on Rs. 05.10.2023 in CAMPA A/c of forest department (Annexure-1 & 2).	The NPV for 66.5436 ha Forest Land under Bokaro Forest Division is Rs. 8,17,54,802/The NPV amounting Rs. 8,17,54,802/ has been deposited by UA vide RTGS Apl No. 61146250122. Details are as per CAMPA Levies Format annexed as Annexure-2.
3	As recommended by the Regional Empowered Committee, a Wildlife Management Plan and Soil & Moisture Conservation Plan should be prepared by concerned DFO and approved by the PCCF (Wildlife) & Chief Wildlife Warden, Jharkhand for implementing them at project cost. The duly approved Plan should be submitted in IRO, MoEF&CC and Ranchi before issuance of final approval.	As per demand of DFO, Bokaro letter No. 2036 dated 06.09.2023 vide which Rs. 336227041.00 deposited out of which Rs. 52122065.00 for Wildlife Management Plan @ 2% of project cost and Rs. 13030516.00 for Soil & Moisture Conservation Plan @ 0.5% of project cost deposited on 05.10.2023 in CAMPA A/c of forest department (Annexure-1, 2 & 3). Rest amount as per approved plan would be deposited as soon as possible.	To avoid delay in compliance of Stage-I condition, on request of the User Agency, DFO, Bokaro has issued demand note of Rs. 5,21,22,065/- vide letter no. 2036 dated 06.09.2023, which is 2 % of the total project cost for interim compliance in the light of directive issued by MoEF&CC vide letter no. FC-11/43/2021-FC dt 07.06.2022 regarding charging lump sum cost towards WLM Plan. On request of the User Agency DFO, Bokaro has issued demand note of Rs. 13030516/- vide letter no. 2036 dated 06.09.2023, which is 0.5% of the total project cost for interim compliance in the light of directive issued by MoEF&CC vide letter no. FC-11/43/2021-FC dt 07.06.2022 regarding charging lump sum cost towards Soil Moisture Conservation (SMC) Plan.  UA has deposited (52122065/- + 13030516/-) = Rs. 65152581/- in Jharkhand CAMPA Account vide RTGS Apl No. 61146250122. Details are as per CA Levies Format annexed, as Annexure-1 & 2.  The User Agency has also submitted an undertaking that after approval of Wildlife Management Plan and Soil & Moisture Conservation Plan, the
	The Committee suggested that the patches left-over in between existing and proposed road, at certain locations, should also be taken up for plantation by SFD at project cost. This cost should also be included in CA levies.	As per demand patches left-over, plantation work in such location identified by SFD during construction stage at project cost is included in CA levis.  (Annexure-1 & 2).	deficit amount shall be paid by them, which is attached as Annexure—3.  The said condition is applicable for Ramgarh Forest Division, DFO Ramgarh has informed that the required amount has been deposited by the User Agency.
5	All the funds received from the user agency under the Project shall	The demanded fund from Forest Department has been deposited to CAMPA fund through e-portal (https://parivesh.nic.in/) (Annexure-	Complied



No.		Reply by UA	Remarks
	CAMPA fund only through e- portal (https://parivesh.nic.in/)	- 1)	
6	The user Agency should formulate & implement Soil Moisture Conservation work around the proposed road so that small streams are disturbed due to the Construction of the Highway.	stage of Highway (Annexure-4)	To avoid delay in compliance Stage-I condition, on request of the User Agency DFO, Bokaro ho issued demand note of R 13030516/- vide letter no. 203 dated 06.09.2023, which is 0.5% the total project cost for interic compliance in the light of directiv issued by MoEF&CC vide lette no. FC-11/43/2021-FC 07.06.2022 regarding chargin lump sum cost towards SMC Plan Details are as per CA Levie Format.
		8	The User Agency has als submitted an undertaking tha after approval of SMC Plan, th deficit amount shall be paid by them, which is attached a Annexure – 4.  UA has deposited Rs. 13030516/in Jharkhand CAMPA Account vide RTGS Appl. No 61146250122. Details are as per
7	A-Muck-Disposal Plan should be prepared by User Agency to ensure that the muck/ wastage generated should be disposed of in proper manner. Such plan, duly approved	Muck Disposal Plan has been approved by DFO-Bokaro vide letter No. 2548 dated 22.11.2023. (Annexure-5)	CA Levies Format.  Muck Disposal Plan for area located under Bokaro Forest Division has been submitted by the User Agency, which has been recommended by DFO Bokaro for
8	by the concerned DFO, should be submitted to this office before soliciting Working Permission.		the approval by the competent Authority. Muck Disposal Plan submitted by the User Agency, is enclosed as <b>Annexure-5</b>
	Ministry guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall	FRA certificate issued by concerned District Collector in prescribed form after Gram-Sabha proceedings is enclosed herewith, details are mentioned below:  Bokaro Division:-	FRA certificate issued by concerned DC in prescribed from has been submitted by the User Agency, which is enclosed as Annexure-6
	be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector including Gram-Sabha proceedings.	FRA – Memo no. 296/2023/(well) dt. 24.02.2023. (Annexure-6)	
	The KML files of the forest area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval.	Has been uploaded.	Complied
	of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter I of the Handbook of Comprehensive of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry letter No. 5-		The User Agency has submitted an undertaking that there shall be no violation of any of the condition mentioned in MoEF&CC, Letter no. FP/JH/Road/146250/2021/1177 dated 13.06.2023, which is enclosed as annexure-7.
T u	iploaded on e-portal o	t will be ensured by the user agency that compliance report will be uploaded on e-portal https://parivesh.nic.in/).	Complied



SI. No.		Reply by UA	Remarks
1	Legal status of the forest land sha remain unchanged.	In this regards undertaking enclose (Annexure-8)	d undertaking in this regard, which i enclosed as Annexure-8
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Compensatory afforestation shabe taken up by the Forest Department over 201.89 hadegraded forest land (Sites Mauza-Lawalong, Thana Gomia/39, Plot No. 254, 1, 18, 34. (Area - 50.50 ha), Mauza-Gomikarmatand, Thana Gomia/103, Plot No. 467, 126, 246 (Area- 20.13 ha), Mauza-Dania Thana-Gomia/32, Plot No. 560 561 (Area- 20.87 ha), Mauza-Kurknalo, Thana-Gomia/94, Plot No. 728, 1236 (Area- 29.32 ha) and Mauza-Khakhand, Thana-Gomia/38, Plot No. 414, 418 (Area- 13.20 ha) under Bokard-Forest Division, Mauza-Darid, Thana-Peterwar/65, Plot No. 654 (Area- 7.18 ha), Mauza-Sonhar, Thana-Kasmar/64, Plot No. 1458 (Area- 2.63 ha), Mauza-Sonhar, Thana-Kasmar/63, Plot No. 275, 252, 480, 497, 340 (Area- 8.70 ha), Mauza-Sonpura, Thana-Kasmar/62, Plot No. 323, 324, 305 (Area- 7.64 ha), Mauza-Kajrum, Thana-Peterwar/68, Plot No. 209 (Area- 5.25 ha), Mauza-Kajrum, Thana-Kasmar/69, Plot No. 388 (Area- 6.70 ha), Mauza-Takaha, Thana-Kasmar/69, Plot No. 344 (Area- 4.97 ha) & Mauza-Banda, Thana-Gola/9, Plot No. 1967, 1984, 210 (Area- 15.95 ha) under Ramgarh Forest Division and Mauza-Balu, Thana-Ranchi/29, Plot No. 25 (Area- 9.55 ha) under Ranchi Forest Division) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species	Demand raised by forest department for CA has already deposited in CAMPA A/C or 05.10.2023. In this regards, undertaking is enclosed herewith for deficit amount if any shall be deposited by the user agency (Annexure-9).	The cost of Compensator Afforestation for 176.37 ha. are identified in Bokaro Divisio (134 ha for Bokaro Forest Division)
	should be avoided.  Additional amount of the NPV of	Additional amount of the NPV of the diverted	The Heavise Activities
the best of the control of the contr	the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the eport from the Expert Committee, thall also be charged by the State diovernment from the User Agency. The User Agency shall urnish an Undertaking to this effect.	forest land, if any, becoming due after finalization, the difference amount will be deposited by this office to the forest department. In this regards, undertaking attached (Annexure-10).	The User Agency has submitted an undertaking in this regard, which is enclosed as Annexure- 10
7 pe	overed Committee constituted in	and it is being ensured that trees having	The User Agency has submitted an undertaking in this regard, which is enclosed as Annexure-11



SI.	Conditions	Reply by UA	Remarks
No.	the State of Jharkhand that governs the tree felling.		Temat R3
5	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision and direction of the State Forest Department; the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	supervision of State Forest Department. (Annexure-12)	The User Agency has submitted an undertaking in this regard, which is enclosed as Annexure- 12
6	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	(Annexure-13)	The User Agency has submitted an undertaking in this regard, which is enclosed as Annexure- 13
7	The user agency shall provide suitable under passes for animal movement in Forest Area/ Road stretch as per recommendations of concerned DFO.	In this regards undertaking enclosed and some interim instruction also provided by DFO-Bokaro vide letter No. 1844 dated 11.08.2023. It will also be a part of wildlife management plan.  (Annexure-14)	It may be noted that Wildlife Management Plan is being prepared by the User Agency.  DFO Bokaro has suggested various location for constructing underpass and overpass for animal movement in forest areas/elevated road.  The User Agency has been told to accommodate proper mitigation measures in Wildlife Management
		t ,	Plan.  The User Agency has submitted an undertaking to construct underpass/ overpass as per approved Wildlife Management Plan, which is enclosed as Annexure-14.
8	The NHAI shall provide unrestricted access to Forest Department vehicles for Managing forests & wildlife during project operation phase.	In this regards undertaking enclosed. (Annexure-15)	The User Agency has submitted an undertaking in this regard, which is enclosed as <b>Annexure-15</b> .  The User Agency should include name of department on their
9	The User Agency shall raise strip plantation on both sides of the road as per The IRC norms.	In this regards undertaking enclosed. (Annexure-16)	exempted signboard before the toll.  The User Agency has submitted undertaking that they will do plantation as per IRC norms, which is enclosed as Annexure-16
10	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	In this regards undertaking enclosed. (Annexure-17)	The User Agency has submitted an undertaking in this regard, which is enclosed as Annexure- 17
	(a) No labor camp shall be established on the forest land.  (b) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the laborers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.  (c) Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.	In this regards undertaking enclosed. (Annexure-18)	The User Agency has submitted an undertaking in this regard, which is enclosed as Annexure- 18
12	(a) The period of diversion under	(Annexure-19)	The User Agency has submitted an undertaking in this regard, which is enclosed as Annexure- 19



SI. No.	Conditions	Reply by UA	Remarks
	that specified in the project proposal.  (c) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior Approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.		
13	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, Protection and development of forest & wildlife.	In this regards undertaking enclosed. (Annexure-20)	The User Agency has submitted an undertaking in this regard, which is enclosed as Annexure- 20

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो ने प्रतिवेदित किया है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल ने सूचित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अभी तक Wildlife Management Plan समर्पित नहीं किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण को Wildlife Management Plan के तहत Overpass एवं Underpass को शामिल करने के लिए उनके पत्रांक 1844 दिनांक 11.08.2023 द्वारा सूचित किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचनबद्धता दिया गया है कि स्वीकृत Wildlife Management Plan के अनुसार वे Overpass एवं Underpass का निर्माण करेंगे।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण के अनुरोध पर वैसे क्षेत्र जहाँ पर Overpass एवं Underpass का निर्माण Wildlife Management Plan के अनुसार प्रस्तावित नहीं है, वहाँ पर एक वर्ष के लिए स—शर्त्त कार्यानुमित देने हेतु सक्षम स्तर द्वारा विचार किया जा सकता है।

#### रामगढ़ वन प्रमण्डल

Sl. No.	Conditions		Remarks o	f PIU	Remarks
A. Co	nditions which need to be complied prior t	o handing o	ver of forest	and by the State 1	
1	on the CA land (201.885 ha) at the prevailing wage rates as per Compensatory afforestation scheme (including) the cost of Survey, demarcation and erection of Permanent pillars etc. as required for securing the	As demanded 1988 dt. condition amount a Officer for Portal on 2	27.09.2023) No. 1, 2, 3 defter verificatorest departm	Ramgarh (Lt. no. to fulfill the & 4 the following ion from Nodal tent at Parivesh as been deposited	The cost of compensatory Afforestation of Rs. 61,25,700/
	land against encroachment) including that required for patch plantation shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	Forest Division Ramgarh	Forest Area (in Ha.) 28.9869		
2	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 99.7862 ha forest area to be diverted under this proposal from the user Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (c) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter	No. 1988 d has been 35613016.0 deposited o	ated 27.09.20 deposited 0 corresponds n Rs. 29.09.2	Ramgarh letter 23 Rs. 92997068 out of which s to NPV amount 2023 in CAMPA (Annexure 1 &	The NPV of Rs 3,56,13,016.00 for 28.9869 Ha Forest Land falling in Ramgarh Division has been deposited. (See Row-'8f' of Compensatory Levies Format Annexure-2)



SI.	Conditions	Remarks of PIU	Remarks
No.	No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated		
3	O6/01/2022 in this regard.  As recommended by the Regional Empowered Committee, a Wildlife Management Plan and Soil & Moisture Conservation Plan should be prepared by concerned DFO and approved by the PCCF (Wildlife) & Chief Wildlife Warden, Jharkhand for implementing them at project cost. The duly approved Plan should be submitted in IRO, MoEF&CC, and Ranchi before issuance of final approval.	As per demand of DFO, Ramgarh letter No. 1988 dated 27.09.2023 vide which Rs. 92997068.00 deposited out of which Rs. 32235752.00 corresponds to interim Wildlife Management Plan & Soil Moisture Conservation Plan amount deposited on 29.09.2023 in CAMPA A/c of forest department (Annexure- 1, 2 & 3). Rest amount as per approved plan would be deposited as soon as possible.	3,22,35,752.00 has beer deposited. (See Row 8 'd' of Compensatory Levies Forma Annexure-2) UA has deposited ar undertaking that deficit amount as per approved plan will be deposited in future is enclosed as
4	The Committee suggested that the patches left-over in between existing and proposed road, at certain locations, should also be taken up for plantation by SFD at project cost. This cost should also be included in CA levies.	As per demand of DFO, Ramgarh letter No. 1988 dated 27.09.2023 vide which Rs. 92997068.00 deposited out of which Rs. 19022600.00 corresponds to left- over plantation work in such location identified by SFD during construction stage at project cost, the cost is included in CA levis. (Annexure- 1, 2).	for patch plantation. (See Row 8 'g' of compensatory levies format Annexure-2)
5	All the funds received from the user agency under the Project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	The demanded fund from Forest Department has been deposited to CAMPA fund through e-portal (https://parivesh.nic.in/) (Annexure-2)	
6	The user Agency should formulate & implement Soil Moisture Conservation work around the proposed road so that small streams are disturbed due to the Construction of the Highway.	Same will be complied during construction stage of Highway (Annexure-4).	UA has summitted an undertaking in this regard Annexed as Annexure-4
7	A-Muck-Disposal Plan should be prepared by User Agency to ensure that the muck/ wastage generated should be disposed of in proper manner. Such plan, duly approved by the concerned DFO, should be submitted to this office before soliciting Working Permission.	Muck Disposal Plan has been approved by DFO-Ramgarh vide letter No. 2527 dated 21.11.2023 and 2248 dated 16.10.2023 for Package-I and II respectively (Annexure-5 & 6)	Muck disposal plan for area falling under Ramgarh has been approved by undersigned. Annexed as Annexure-5 & 6. Also as per Notification No. Van Bhumi (Vividh)- 03/2022-2732 dated 15.09.2022 it may further be consented by PCCF (HoFF)
8	The FRA certification as per Ministry guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector including Gram-Sabha proceedings.	FRA certificate issued by concerned District Collector in prescribed form after Gram-Sabha proceedings is enclosed herewith, details are mentioned below:  Ramgarh Division:- FRA – Memo no. 320 dt. 25.03.2023. FRA – Memo no. 164 dt. 07.02.2023. (Annexure-7)	FRA certificate issued by concerned DC in prescribed form has been submitted by UA which is enclosed as Annexure-7.
9	The KML files of the forest area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval.	Has been uploaded	Complied.
10	Violation of any of these conditions will amount to Violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	It will be ensured by the user agency that there shall be no violation of any of these conditions.  (Annexure-8)	UA has submitted an undertaking that there shall be no violation of any to the condition mentioned in MoEF&CC, Letter no-FP/JH/Road/146250/2021/1177 dated 13.06.2023 which is enclosed as Annexure-8
11	The Compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	It will be ensured by the user agency that compliance report will be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Complied.
B.	Conditions which need to be Strictly comp State Forest Department but the compliance	plied on field after handing over of forest ee in form of undertaking shall be submitte	land to the User Agency by the d prior to Stage-II approval :
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Legal status of forest land will not be changed. In this regards undertaking enclosed (Annexure-09)	UA has submitted an undertaking enclosed as Annexure-9



SI. No.	Conditions	Remarks of PIU	Remarks
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 201.89 ha. degraded forest land (Sites- Mauza-Lawalong, Thana- Gomia/39, Plot No. 254, 1, 18, 343 (Area - 50.50 ha), Mauza-Gomikarmatand, Thana- Gomia/103, Plot No. 467, 126, 240 (Area- 20.13 ha), Mauza- Dania, Thana- Gomia/32, Plot No. 560, 561 (Area- 20.87 ha), Mauza-Kurknalo, Thana- Gomia/94, Plot No. 728, 1236 (Area- 29.32 ha) and Mauza-Khakhand, Thana - Gomia/38, Plot No. 414, 418 (Area- 13.20 ha) under Bokaro Forest Division, Mauza- Darid, Thana-	CA has already deposited in CAMPA A/C on 05.10.2023. In this regards, undertaking is enclosed herewith for deficit amount if any, shall be deposited by the user agency. (Annexure-10)	be taken up on 15.945 ha i Mauza- Banda as and whe allotment is received.
	Peterwar/65, Plot No. 654 (Area- 7.18 ha), Mauza- Dantu, Thana- Kasmar/64, Plot No. 1458 (Area- 2.63 ha), Mauza-Sonhar, Thana- Kasmar/63, Plot No. 275, 252, 480, 497, 340 (Area- 8.70 ha), Mauza- Sonpura, Thana- Kasmar/62, Plot No. 323, 324, 305 (Area- 7.64 ha), Mauza- Kajrum, Thana- Peterwar/68, Plot No. 209 (Area- 5.25 ha), Mauza- Haslata,		
	Thana- Kasmar/69, Plot No. 388 (Area-6.70 ha), Mauza- Takaha, Thana-Peterwar/27, Plot No. 234 (Area- 4.97 ha) & Mauza- Banda, Thana- Gola/9, Plot No. 1967, 1984, 210 (Area- 15.95 ha) under Ramgarh Forest Division and Mauza- Balu, Thana- Ranchi/29, Plot No. 25 (Area- 9.55 ha) under Ranchi Forest Division) at the cost of the user agency.		a 10
	As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.		(i) (iv)
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an Undertaking to this effect.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization, the difference amount will be deposited by this office to the forest department. In this regards, undertaking attached (Annexure-11)	UA has submitted an undertaking in this regard which is enclosed as Annexure-11
4	The trees having diameter less than 7 inches shall be translocated as per the set standards of the High-Powered Committee constituted in the State of Jharkhand that governs the tree felling.	In this regards undertaking is being enclosed and it is being ensured that trees having diameter less than 7 inches is being translocated.  (Annexure-12)	UA has submitted an undertaking in this regard which is enclosed as Annexure-12
5	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision and direction of the State Forest Department; the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	We are felling only unavoidable trees under supervision of State Forest Department.  (Annexure-13)	UA has submitted an undertaking in this regard which is enclosed as Annexure-13
6	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	In this regards undertaking enclosed. (Annexure-14)	UA has submitted an undertaking in this regard which is enclosed as Annexure-14
7	The user agency shall provide suitable under passes for animal movement in Forest Area/ Road stretch as per recommendations of concerned DFO.	30.09.2023. It will also be a part of wildlife management plan. (Annexure-15)	Location of passes has been suggested to UA. They are getting their designs & estimates approved. Working permission can be given with condition of appropriate construction in chainages indicated by DFO.  An undertaking in this regard.
	.3.	*	An undertaking in this regard which has been enclosed as Annexure-15



SI. No.	Conditions	Remarks of PIU	Remarks
8	The NHAI shall provide unrestricted access to Forest Department vehicles for Managing forests & wildlife during project operation phase.	In this regards undertaking enclosed. (Annexure-16)	UA has submitted an undertaking in this regard which is enclosed as Annexure-16. UA should include name of department on their exempted signboard before the toll.
9	The User Agency shall raise strip plantation on both sides of the road as per The IRC norms.	In this regards undertaking enclosed. (Annexure-17)	UA has submitted an undertaking in this regard which is enclosed as Annexure-17
10	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	In this regards undertaking enclosed. (Annexure-18)	UA has submitted an undertaking in this regard which is enclosed as Annexure-18
11	<ul> <li>(a) No labor camp shall be established on the forest land.</li> <li>(b) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the laborers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.</li> <li>(c) Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.</li> </ul>	In this regards undertaking enclosed.  (Annexure-19)	UA has submitted an undertaking in this regard which is enclosed as Annexure-19
12	<ul> <li>(a) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.</li> <li>(b) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.</li> <li>(c) The forest land proposed to be</li> </ul>	In this regards undertaking enclosed. (Annexure-20)	UA has submitted an undertaking in this regard which is enclosed as Annexure-20
	diverted shall under no circumstances  be transferred to any other agencies, department, or person without prior Approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.		•
13	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, Protection and development of forest & wildlife.	In this regards undertaking enclosed. (Annexure-21)	UA has submitted an undertaking in this regard which is enclosed as Annexure-21.

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल के पत्रांक 2708 दिनांक 22.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा सूचित किया गया है कि लगाये गये शर्तों का Interim Compliance Working Permission हेतु समर्पित किया गया है, न कि स्टेज—II हेतु समर्पित किया गया है। भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र (1) द्वारा दिए गए सैद्धांतिक सहमति में भाग—B में यह उल्लेखित है कि "Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval." अतः शर्त संख्या—B-6 (The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of concerned Divisional Forest Officer) के लिए वर्तमान में सिर्फ वचनबद्धता देना काफी है।

Working Permission प्राप्त होने के उपरान्त पीलर निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा और प्रयोक्ता अभिकरण ने यह भी वचनबद्धता दी है कि Applied वन क्षेत्र से बाहर



निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। इसलिए विषयगत परियोजना के संबंध में Working Permission हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि Working Permission की स्वीकृति की दिशा में आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 :- यथोक्त।

आपका विश्वासी

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक

06 01